CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

UPSC 10 वर्ष

आईएएस मुख्य परीक्षा

राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

प्रश्नोत्तर रूप में

2015-2024 अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

10 वर्ष (2015-2024)

आईएएस मुख्य परीक्षा अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

प्रश्नोत्तर रूप में

यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षाओं तथा अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है।

- पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर को मॉडल हल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हों तथा पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हों।
- इस पुस्तक में प्रश्नों से संबंधित अन्य विशिष्ट जानकारियों को भी उत्तर में समाहित किया गया है, ताकि अभ्यर्थी इसका उपयोग न सिर्फ हल प्रश्न-पत्र के रूप में, बल्कि अध्ययन सामग्री के रूप में भी कर सकें।
- इस पुस्तक का उपयोग अभ्यर्थी अपनी उत्तर लेखन शैली में सुधार लाने तथा प्रश्नों की प्रवृत्ति व प्रकृति को समझने के लिए भी कर सकते हैं।

संपादकः एन. एन. ओझा

हलः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

अनुक्रमणिका

विषयवार हल प्रश्न-पत्र : 2015-2024

प्रथम प्रश्न-पत्र

राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति

1. **राजनीतिक सिद्धांत : अर्थ एवं उपागम** 1-7

2. **राज्य के सिद्धांत** 8-18
   - उदारवादी, नवउदारवादी, मार्क्सवादी, बहुवादी, पश्च-उपनिवेशी एवं नारी-अधिकारवादी

3. **न्याय** 19-22
   - रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय के संप्रत्यय एवं इसके समुदायवादी समालोचक

4. **समानता** 23-27
   - सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक, समानता तथा स्वतंत्रता के बीच संबंध, सकारात्मक कार्य

5. **अधिकार** 28-33
   - अर्थ एवं सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के अधिकार, मानवाधिकार की संकल्पना

6. **लोकतंत्र** 34-39
   - शास्त्रीय और समकालीन सिद्धांत

7. **शक्ति, प्राधान्य, विचारधारा और वैधता की संकल्पना** 40-43

8. **राजनैतिक विचारधाराएं** 44-51
   - उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, गांधीवाद और नारी-अधिकारवाद

9. **भारतीय राजनीतिक चिंतन** 52-59
   - धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध परंपराएं; सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंद, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय

10. **पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन** 60-70
    - प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस. मिल, मार्क्स, ग्राम्स्की, हान्ना आरेन्ट

भारतीय शासन एवं राजनीति

1. **भारतीय राष्ट्रवाद** 71–77

(क) भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनैतिक कार्यनीतियां: संविधानवाद से जन सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो; उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन

(ख) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य : उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवादी; उग्र मानवतावादी एवं दलित

2. **भारत के संविधान का निर्माण** 78–81

- ब्रिटिश शासन का रिक्थ; विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य।

3. **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं** 82–89

- प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा कर्त्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली एवं संशोधन प्रक्रिया; न्यायिक पुनर्विलोकन एवं मूल संरचना सिद्धांत

4. **केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रधान अंग** 90–96

(क) केंद्र सरकार के प्रधान अंग : कार्यपालिका, विधायिका एवं सर्वोच्च न्यायालय की विचारित भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली

(ख) राज्य सरकार के प्रधान अंग : कार्यपालिका, विधायिका एवं उच्च न्यायालयों की विचारित भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली

5. **आधारिक लोकतंत्र** 97–102

- पंचायती राज एवं नगर शासन; 73वें एवं 74वें संशोधनों का महत्व; आधारिक आंदोलन

6. **संवैधानिक/सांविधिक संस्थाएं** 103–112

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

7. **संघ राज्य पद्धति** 113–118

- सांविधानिक उपबंध, केन्द्र राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियां एवं क्षेत्रीय आकांक्षाएं; अंतर-राज्य विवाद

8. **योजना और आर्थिक विकास** 119–125

- नेहरूवादी एवं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, योजना की भूमिका एवं निजी क्षेत्र, हरित क्रांति, भूमि सुधार एवं कृषि संबंध, उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार

9. **भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं नृजातीयता** 126–132

10. **दल प्रणाली** 133–138

- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधार, बहुदलीय राजनीति के स्वरूप, दबाव समूह, निर्वाचक आचरण की प्रवृत्तियां, विधायकों के बदलते सामाजिक-आर्थिक स्वरूप

11. **सामाजिक आंदोलन** 139–142

- नागरिक स्वतंत्रताएं एवं मानवाधिकार आंदोलन; महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन

द्वितीय प्रश्न-पत्र

तुलनात्मक राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. **तुलनात्मक राजनीति** 143–147
   - स्वरूप एवं प्रमुख उपागम, राजनैतिक अर्थव्यवस्था एवं राजनैतिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य; तुलनात्मक प्रक्रिया की सीमाएं

2. **तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य** 148–152
   - पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के बदलते स्वरूप एवं उनकी विशेषताएं तथा उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाज

3. **राजनैतिक प्रतिनिधान एवं सहभागिता** 153–156
   - उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील सभाओं में राजनैतिक दल, दबाव समूह एवं सामाजिक आंदोलन

4. **भूमंडलीकरण** 157–165
   - विकसित और विकासशील समाजों से प्राप्त अनुक्रियाएं

5. **अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम** 166–170
   - आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी एवं प्रणाली सिद्धांत

6. **अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं** 171–180
   - राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं शक्ति; शक्ति संतुलन एवं प्रतिरोध; पर-राष्ट्रीय कर्त्ता एवं सामूहिक सुरक्षा; विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण

7. **बदलती अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था** 181–189

   महाशक्तियों का उदय, कार्यनीतिक एवं वैचारिक द्विध्रुवीयता, शास्त्रीकरण की होड़ एवं शीत युद्ध; नाभिकीय खतरा

8. **अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव** 190–193
   - ब्रेटनवुड से विश्व व्यापार संगठन तक; समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं तथा पारम्परिक आर्थिक सहायता परिषद (CMEA); नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की तृतीय विश्व की मांग; विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण

9. **संयुक्त राष्ट्र** 194–204
   - विचारित भूमिका एवं वास्तविक लेखा-जोखा; विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण-लक्ष्य एवं कार्यकरण; संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता

10. **विश्व राजनीति का क्षेत्रीयकरण** 205–213
    - यूरोपीय संघ, आसियान, एपेक, सार्क, नाफ्टा

11. **समकालीन वैश्विक सरोकार** 214–225
    - लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय, आतंकवाद, नाभिकीय प्रसार

भारत तथा विश्व

1. **भारतीय विदेश नीति** 226–240
   - विदेश नीति के निर्धारक; नीति निर्माण की संस्थाएं; निरंतरता एवं परिवर्तन

2. **गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत का योगदान** 241–243
   - विभिन्न चरण; वर्तमान भूमिका

3. **भारत एवं दक्षिण एशिया** 244–255
   (क) क्षेत्रीय सहयोग : SAARC–पिछले निष्पादन एवं भावी प्रत्याशाएं
   (ख) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में
   (ग) भारत की "पूर्व अभिमुखन" नीति
   (घ) क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं : नदी जल विवाद; अवैध सीमा पार उत्प्रवासन; नृजातीय द्वंद्व एवं उपप्लव; सीमा विवाद

4. **भारत और वैश्विक दक्षिण** 256–262
   - अफ्रीका एवं लातिनी अमेरिका के साथ संबंध; NIEO एवं WTO वार्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व की भूमिका

5. **भारत और वैश्विक शक्ति केंद्र** 263–278
   - यूएसए, यूरोपीय संघ (ईयू), जापान, चीन और रूस

6. **भारत और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** 279–284
   - संयुक्त राष्ट्र शान्ति अनुरक्षण में भूमिका; सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की मांग

7. **भारत एवं नाभिकीय प्रश्न** 285–291
   - बदलते प्रत्यक्षण एवं नीति

8. **भारतीय विदेश नीति में हाल के विकास** 292–306
   - अफगानिस्तान में हाल के संकट पर भारत की स्थिति; इराक एवं पश्चिम एशिया; यूएस एवं इजराइल के साथ बढ़ते संबंध; नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि

◆❖◆❖◆❖◆

प्रथम प्रश्न-पत्र

राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति

1 राजनीतिक सिद्धांत : अर्थ एवं उपागम

प्र. "राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम" पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राजनीतिक विज्ञान के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार के व्यवस्थित और अनुभवजन्य अध्ययन पर जोर देता है। यह औपचारिक संस्थानों और विधिक ढांचों पर केंद्रित रहने से हटकर व्यक्तियों और समूहों की दृष्टिगत क्रियाओं और अंत:क्रियाओं का विश्लेषण करने की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक है।

- डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को ठोस और अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने की एक विधि के रूप में वर्णित किया, तथा राजनीतिक व्यवहार के व्यवस्थित विश्लेषण की वकालत की।
- **रॉबर्ट डाहल** ने भी सैद्धांतिक मानदंडों के बजाय वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया, तथा इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यक्ति वास्तविक राजनीतिक स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं।
- **गैब्रियल आलमंड** ने औपचारिक संस्थाओं के विश्लेषण से लेकर राजनीतिक परिणामों को आकार देने वाली अनौपचारिक प्रक्रियाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के अध्ययन तक के संक्रमण पर प्रकाश डालकर इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- व्यवहारिक दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि इसमें **अवलोकनीय तथ्यों और सत्यापन योग्य आंकड़ों पर जोर दिया जाता है,** मात्रात्मक तरीकों और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, संस्थाओं के बजाय व्यक्तिगत और समूह व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है, मूल्य-मुक्त और वस्तुनिष्ठ अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता होती है, तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को एकीकृत किया जाता है।
- इस पद्धति ने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक कठोरता और अनुभवजन्य पद्धतियां लाकर इसे अधिक डेटा-संचालित और व्यवस्थित अनुशासन में बदल दिया।

अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, व्यवहारिक दृष्टिकोण को राजनीति को व्यापक रूप से समझने के लिए महत्वपूर्ण मानक और दार्शनिक प्रश्नों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

प्र. उपयुक्त उदाहरणों सहित 'राजनीतिक' शब्द में निहित अर्थों को स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: 'राजनीतिक' शब्द को इतिहास के विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा अलग-अलग परिभाषित किया गया है और इन परिभाषाओं ने इस महत्वपूर्ण विचार पर भिन्न अंतर्दृष्टियां प्रदान की हैं।

- **अरस्तू** अपनी कृति **"पॉलिटिक्स"** में कहते हैं कि 'राजनीतिक' स्वाभाविक रूप से 'पोलिस' (नगर-राज्य) से जुड़ा हुआ है। वे यह घोषित करते हैं कि "मनुष्य स्वभावत: एक राजनीतिक प्राणी है," जो यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने अस्तित्व और समृद्धि के लिए स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समूहों का निर्माण करता है। **अरस्तू राजनीतिक सहभागिता को मानव सहयोग की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते हैं,** जो सामूहिक कल्याण की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित होती है।
- **मैक्स वेबर ने "पॉलिटिक्स ऐज ए वोकेशन" में** एक शक्ति-केंद्रित परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि राजनीति में मूल रूप से सत्ता को साझा करने या सत्ता के आवंटन को प्रभावित करने का प्रयास शामिल है, चाहे वह राज्यों के बीच हो या राज्य के भीतर समूहों के बीच। यह विश्लेषण राजनीतिक जुड़ाव में शक्ति गतिशीलता के महत्व पर जोर देता है।
- **"द ह्यूमन कंडीशन"** में हन्ना अरेंड्ट ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक क्षेत्र की विशेषता मानवीय **बहुलता और सामूहिक कार्रवाई है,** उन्होंने जोर देकर कहा कि "राजनीति मानवीय बहुलता के तथ्य पर आधारित है" और "विभिन्न व्यक्तियों के सह-अस्तित्व और संगठन" को संबोधित करती है। वह सार्वजनिक स्थान और सामुदायिक विमर्श के महत्व को रेखांकित करती हैं।
- **कार्ल श्मिट ने** "द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल" में मित्र-शत्रु द्वैतवाद के माध्यम से राजनीति को विवादास्पद रूप से चित्रित किया है, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा है कि "विशिष्ट राजनीतिक अंतर जिसके द्वारा राजनीतिक कार्यों और उद्देश्यों को कम किया जा सकता है, वह मित्र और शत्रु के बीच का अंतर है।" यह परिभाषा **राजनीति की विवादास्पद प्रकृति** को रेखांकित करती है।
- **"द पॉलिटिकल सिस्टम"** में डेविड ईस्टन ने एक सिस्टम-उन्मुख परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें राजनीति को "समाज के भीतर मूल्यों का आधिकारिक आवंटन" के रूप में वर्णित किया गया है।

2

राज्य के सिद्धांत

प्र. "राज्य का बहुलवादी सिद्धांत" पर टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राज्य का बहुलवादी सिद्धांत सी. राइट मिल्स द्वारा प्रस्तावित अभिजात्य सिद्धांत की आलोचना के रूप में उभरा। बहुलवादी सिद्धांत की मूलभूत विशेषता यह है कि राज्य, किसी एक पूंजीवादी वर्ग या अभिजात वर्ग के वर्चस्व के बजाय, विभिन्न हित समूहों द्वारा शासित होता है।

- **रॉबर्ट डाहल ने** अपने लेख 'हू गवर्नेस अमेरिका?' में सीडब्ल्यू मिल्स के सत्ता के अभिजात्य दृष्टिकोण पर हमला करते हुए बहुलवादी राज्य की अवधारणा पेश की। डाहल का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन संघीय राजनेताओं जैसे राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा नहीं, बल्कि धार्मिक संगठनों, कॉर्पोरेट लॉबी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं सहित कई हित समूहों द्वारा किया जाता है। उन्होंने अपने बहुलवादी राज्य प्रतिमान को "बहुशासन" के रूप में संदर्भित किया।
- **चार्ल्स लिंडब्लोम** के साथ अपने सहयोग में, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जबकि कई हित समूह नीति-निर्माण निर्णयों को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय और उद्यमी समूह सबसे शक्तिशाली हैं। डाहल ने इस नई अवधारणा को **"विकृत बहुशासन"** के रूप में संदर्भित किया।

राज्य का बहुलवादी मॉडल आर्थिक आधार, विशेष रूप से उत्पादन के साधनों के दर्पण के रूप में राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है। राज्य के बहुलवादी मॉडल को इसके समर्थकों द्वारा लोकतंत्र का सबसे "व्यावहारिक" प्रकार माना जाता है।

प्र. यूरोकेन्द्रवाद, उत्तर-उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धान्त का लक्ष्य एवं प्रेरक शक्ति दोनों है। विवेचन कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: यूरोकेन्द्रवाद एक अवधारणा है, जो इस विचार में निहित है कि यूरोपीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों ने ऐतिहासिक रूप से दुनिया पर अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया है।

- दूसरी ओर, उत्तर-उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत, एक रूपरेखा है जो विशेष रूप से यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार के संदर्भ में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की ऐतिहासिक विरासत की प्रतिक्रिया से उभरी है।
- उत्तर-उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत यूरोकेन्द्रवाद की एक ऐसी विचारधारा के रूप में आलोचनात्मक रूप से जांच करता है, जिसका उपयोग औपनिवेशिक उद्यम को उचित ठहराने और बनाए रखने के लिए किया गया है।
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे यूरोकेन्द्रवाद ने गैर-यूरोपीय क्षेत्रों पर यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व को उचित ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अक्सर गैर-यूरोपीय समाजों को हीन के रूप में चित्रित किया।
- उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण समाप्त होने के बाद पूंजीवादी देशों ने अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए वैचारिक व सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने निम्नलिखित कार्य किये-
  - संचार माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया।
  - लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के नाम पर अपना नियंत्रण बनाए रखा।
  - यूरोपीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया।
  - व्हाइट मैन्स बर्डन की संकल्पना का प्रतिपादन किया।
  - पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास किया।
  - विचार व वेश-भूषा के द्वारा प्रभावित किया।
- उत्तर-उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति के प्रयासों के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है।
- यह यूरोकेंद्रित सत्ता संरचनाओं को नष्ट करने और उन्हें अधिक न्यायसंगत और सांस्कृतिक रूप से समावेशी प्रणालियों से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।
- उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के यूरोकेंद्रित आधारों को चुनौती देकर, उत्तर-उपनिवेशवादी सिद्धांतकार पूर्व उपनिवेशित राष्ट्रों और लोगों के लिए आत्मनिर्णय, सांस्कृतिक स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं।
- 'डिकोलोनाइजिंग द माइंड: द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर' (1986) में 'न्गुगी वा थ्योंगो' ने चर्चा की है कि कैसे यूरोकेन्द्रित शिक्षा और भाषा का उपयोग औपनिवेशिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में किया गया। वह भाषा के उपनिवेशीकरण को खत्म करने और स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं।

इस प्रकार, यूरोकेन्द्रवाद ने ऐतिहासिक विवरणों, ज्ञान उत्पादन और शक्ति संरचनाओं को इस तरह से आकार दिया है कि गैर-यूरोपीय संस्कृतियों और लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। उत्तर-उपनिवेशवादी सिद्धांत, अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूरोकेन्द्रवाद को चुनौती देने और नष्ट करने का प्रयास करता है।

3

न्याय

प्र. रॉल्स के 'उदार स्व' का विचार बहुत अधिक व्यक्तिवादी है। इस सन्दर्भ में रॉल्स के न्याय सिद्धान्त की समुदायवादी आलोचना को स्पष्ट कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: रॉल्स की 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' ने हाल के दिनों में राजनीतिक दर्शन की मानक प्रवृत्ति को पुनर्जीवित किया है। 20वीं सदी में रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना "थ्योरी ऑफ जस्टिस" में न्याय की संकल्पना को पुन: राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया था।

- रॉल्स का उद्देश्य विशुद्ध प्रक्रियात्मक पद्धति पर आधारित न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना था। हालांकि, यह पद्धति उदारवाद पर आधारित है, जो व्यक्तिवाद को तर्क के केंद्र में रखती है।
- रॉल्स के अनुसार, न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। न्याय के नियमों का निर्माण मानवीय समाज द्वारा किया गया है, अत: न्याय मानव के तार्किक चयन का परिणाम है।

रॉल्स के न्याय का क्रमिक रूप

- **समान स्वतंत्रता**
- **अवसर की समानता**
- **विभेद का नियम**

- माइकल सैंडल और अलास्डेयर मैकइंटायर जैसे साम्यवादी विचारकों का तर्क है कि रॉल्स का सिद्धांत सांप्रदायिक मूल्यों, साझा परंपराओं और सांस्कृतिक संदर्भों के महत्व को कम करते हुए 'व्यक्तिगत स्व' (Individual Self) पर बहुत अधिक जोर देता है।
- रॉल्स ने अपने सिद्धांत की शुरुआत एक काल्पनिक स्थिति से की है जहां व्यक्ति 'अज्ञानता के पर्दे' (Veil of Ignorance) के पीछे, न्याय के सिद्धांतों के बारे में तर्कसंगत विकल्प चुनते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व क्षमता का ज्ञान नहीं था और भविष्य में समाज में उसकी स्थिति क्या होगी, उसके विषय में भी उसे ज्ञान नहीं था। अत: इस स्थिति में जब व्यक्तियों ने परस्पर समझौता करके न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयत्न किया तो उन्होंने स्वयं की स्थिति को सबसे वंचित रूप में देखा।
- रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अधिकतम-न्यूनतम सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका अभिप्राय है, समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ।
- रॉल्स का प्रसिद्ध कथन ''आत्म उन 'साध्यों' से पहले है जिनकी पुष्टि इसके द्वारा की जाती है'' (the self is prior to the ends which are affirmed by it), जो कांट की मान्यता 'व्यक्ति स्वयं में साध्य है' से प्रभावित है।
- जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, उनके अनुसार, स्वतंत्रता का अधिकार प्रमुख व प्राथमिक है। यह अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होगा। स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है।
- समुदायवादियों के अनुसार, रॉल्स ने व्यक्ति को एकांकी अमूर्त अणु के रूप में देखा। समूह के सदस्य के बजाय अलग-अलग रूप में देखा। उनके अनुसार व्यक्ति के पृथक समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति मूलत: वर्ग का सदस्य है।
- समुदायवादी अणुवादी व्यक्ति (Atomistic Individual) की इस संकल्पना की सटीक आलोचना करते हैं और इसे वास्तविकता से रहित 'अमूर्त व्यक्ति' (Abstract Individuals) कहते हैं।

प्र. न्याय पर समुदायवादी परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2019)

उत्तर: न्याय को लेकर प्रमुख राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक 'ए थियोरी ऑफ जस्टिस' में मजबूती के साथ विचार व्यक्त किया कि आखिर क्यों समाज के कमजोर तबकों की भलाई के लिए राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी थियोरी में रॉल्स शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए वितरण मूलक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अपने न्याय के सिद्धांत में उन्होंने हर किसी को समान स्वतंत्रता के अधिकार की तरफदारी की। इसके साथ ही भेदमूलक सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक अंतरों को इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि इससे सबसे वंचित तबके को सबसे ज्यादा फायदा हो।

रॉल्स के सिद्धांत की कई आलोचनाएँ भी सामने आयीं, जो दरअसल सामाजिक न्याय के संदर्भ में कई नये आयामों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस संदर्भ में समुदायवादियों और नारीवादियों की द्वारा की गयी आलोचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। समुदायवादियों ने सामान्य तौर पर उदारतावाद और विशेष रूप से रॉल्स के सिद्धांत की इसलिए आलोचना की कि इसमें व्यक्ति की अणुवादी संकल्पना पेश किया गया है। रॉल्स जिस व्यक्ति की संकल्पना करते हैं वह अपने संदर्भ और समुदाय से पूरी तरह कटा हुआ है। बाद में, 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में, उदारतावादियों ने समुदायवादियों की आलोचनाओं को उदारतावाद के भीतर समायोजित करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना सामने आयी।

4

समानता

प्र. लोकतांत्रिक नागरिकता की समानता और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच संबंध की प्रकृति आर्थिक समानता से प्रभावित होती है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राजनीति विज्ञान में समानता का तात्पर्य इस धारणा से है कि सभी व्यक्तियों के पास समान आंतरिक मूल्य होते हैं और उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। इसमें न्यायसंगत कानूनी उपचार, गैर-भेदभाव और राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी शामिल है।

- लोकतांत्रिक नागरिकता में समानता और स्वतंत्रता के बीच अंतर्सम्बन्ध आर्थिक समानता से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, जैसा कि कई अकादमिक दृष्टिकोणों से स्पष्ट होता है।
- राजनीतिक दार्शनिक **माइकल वाल्जर ने** अपनी प्रभावशाली कृति **"स्फीयर्स ऑफ जस्टिस"** (1983) में तर्क दिया है कि जब धन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच को निर्धारित करता है, तो यह एक प्रकार का वर्चस्व पैदा करता है जो राजनीतिक समानता और मूलभूत स्वतंत्रता दोनों को नष्ट कर देता है।
- **एलिजाबेथ एंडरसन ने "व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी?"** (1999) में इस संबंध को और स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने जोर दिया है कि लोकतांत्रिक समानता का उद्देश्य आर्थिक परिणामों में सभी असमानताओं को मिटाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समुदाय स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ समानता के संबंध बनाए रखें।
- **थॉमस पिकेटी ने "कैपिटल इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी"** (2014) में आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संघर्ष को स्पष्ट किया है, यह दर्शाते हुए कि जब पूंजी पर रिटर्न की दर आर्थिक विकास दर से काफी अधिक हो जाती है, तो यह स्वाभाविक रूप से मनमानी और अस्थिर असमानताओं को जन्म देती है जो लोकतांत्रिक समाजों के आधारभूत योग्यता सिद्धांतों को बुनियादी रूप से नष्ट कर देती है।
- **नैन्सी फ्रेजर ने अपनी रचना "स्केल्स ऑफ जस्टिस"** (2009) में "सहभागी समानता" की अवधारणा को पेश करके लोकतांत्रिक नागरिकता के आर्थिक पहलू की जांच की। उनका तर्क है कि वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की वस्तुनिष्ठ स्थिति और सांस्कृतिक मान्यता की अंत:विषय स्थिति दोनों की आवश्यकता होती है।
- **"द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी"** में, **जोसेफ स्टिग्लिट्ज** ने एक प्रेरक परीक्षण प्रस्तुत किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि **आर्थिक असमानता अनिवार्य रूप से राजनीतिक असमानता** में बदल जाती है, जिससे एक फीडबैक लूप स्थापित होता है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कमजोर करता है। वह बताते हैं कि कैसे केंद्रित आर्थिक शक्ति के परिणामस्वरूप केंद्रित राजनीतिक अधिकार बनते हैं, जिससे **कम संसाधनों वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता कमजोर** होती है।
- ये अकादमिक दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करते हैं कि गंभीर आर्थिक असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक शक्ति तक पहुंच को सीमित करके पर्याप्त लोकतांत्रिक भागीदारी में बाधा डालती है।

इसलिए, वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आर्थिक समानता का एक निश्चित स्तर आवश्यक है, क्योंकि महत्वपूर्ण आय अंतर नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने की क्षमता पर व्यावहारिक बाधाएं डालते हैं। यह समझ लोकतांत्रिक समानता की औपचारिक धारणाओं का विरोध करती है और संकेत देती है कि लोकतांत्रिक नागरिकता में स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए वास्तविक आर्थिक समानता महत्वपूर्ण है।

प्र. सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का जितना दृढ़ समर्थन किया जाता है, उतनी ही कठोर आलोचना भी की जाती है। इस कथन का समानता के सन्दर्भ में विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य एक ऐसी नीति से है, जिसका उद्देश्य हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों के लिए कार्यस्थल और शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना है। यह नेतृत्व और पेशेवर भूमिकाओं में ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाली जनसांख्यिकी पर केंद्रित है। इसे अक्सर विशेष समूहों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने का एक साधन माना जाता है।

- सरकार समर्थित इस नीति को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले लोगों के समूहों को शिक्षा जगत, निजी कार्यबल और सरकारी नौकरियों में अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था।
- समानता के साथ सकारात्मक कार्रवाई का संबंध अक्सर बहस का विषय रहा है तथा इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं।
- सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के कार्यान्वयन और निरंतर उपयोग के मजबूत समर्थन के साथ-साथ इसकी कड़ी आलोचना भी होती है।
- सकारात्मक कार्रवाई का एक स्पष्ट लाभ है कि यह उन लोगों को अवसर प्रदान करता है, जिनके पास अन्यथा अवसर नहीं होते। इन अवसरों में उन छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच शामिल है, जो वंचित हो सकते हैं और उन कर्मचारियों के लिए करियर में उन्नति शामिल है, जिन्हें कार्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से रोका जा सकता है।

5

अधिकार

प्र. मानवाधिकारों पर बहस सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद दोनों की सीमाओं के बीच फंसी हुई है। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, जातीयता, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। इन अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार शामिल है। मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय और राज्य कानूनी ढांचों द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक सापेक्षवाद

- मानवाधिकारों पर चर्चा सार्वभौमिक मानवाधिकारों और सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बीच एक मौलिक विरोधाभास द्वारा चिह्नित है। **"यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस" (2013)** में, **जैक डोनेली** तर्क देते हैं कि यद्यपि मानवाधिकारों में एक सार्वभौमिक वैचारिक ढांचा होता है, लेकिन उनके अनुप्रयोग में सांस्कृतिक अंतरों पर विचार किया जाना चाहिए, जो एक "सापेक्ष सार्वभौमिकता" की वकालत करता है जो सार्वभौमिक सिद्धांतों और स्थानीय संदर्भों दोनों को स्वीकार करता है।
- **"ह्यूमन राइट्स: ए पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्रिटीक" (2002)** में, मकाऊ मुटुआ सार्वभौमिक मानवाधिकारों के पश्चिम-केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, उनका तर्क है कि मौजूदा मानवाधिकार ढांचा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रतीक है। उनका तर्क है कि मानवाधिकारों की **सार्वभौमिक घोषणा** मुख्य रूप से पश्चिमी उदार विचारों को दर्शाती है और मानव गरिमा और सामाजिक निष्पक्षता पर विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को अपर्याप्त रूप से समाहित कर सकती है।
- **अब्दुल्लाही अन-नईम ने "ह्यूमन राइट्स इन क्रॉस-कल्चरल परस्पेक्टिव्स" (1992)** में इस परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है, तथा तर्क दिया है कि मानव अधिकारों के अनुप्रयोग के लिए सांस्कृतिक वैधता आवश्यक है तथा प्रभावोत्पादकता प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं में निहित होना चाहिए।
- **"व्हाट आर ह्यूमन राइट्स?" (2010)** में, मैरी-बेनेडिक्ट डेम्बोर ने मानवाधिकारों के बारे में चार प्रमुख विचारधाराओं को रेखांकित करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है: प्राकृतिक, जानबूझकर, विरोध और विवादास्पद विचारधाराएं। वह बताती हैं कि कैसे ये विभिन्न वैचारिक ढाँचे संस्कृतियों में मानवाधिकारों की समझ और कार्यान्वयन में अंतर्निहित विरोधाभास उत्पन्न करते हैं।
- **"डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम" (1999)** में अमर्त्य सेन लिखते हैं कि मानव अधिकार और सांस्कृतिक मूल्य स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी नहीं हैं। उनका मानना है कि सभी संस्कृतियों में ऐसी परंपराएं होती हैं जो आवश्यक मानवीय स्वतंत्रता को बनाए रखती हैं, हालांकि उन्हें अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है।
- **रोडा हॉवर्ड-हसमैन ने "यूनिवर्सल विमेन राइट्स" (2011)** में छठा रुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि हालांकि सांस्कृतिक संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवाधिकार ढांचे की अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वह महिलाओं के अधिकारों के संबंध में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करती हैं, क्योंकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद को कभी-कभी भेदभाव को तर्कसंगत बनाने के लिए नियोजित किया जाता है।

मानवाधिकारों में सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बीच संघर्ष केवल द्विआधारी विरोध नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और मानव गरिमा के आवश्यक मानदंडों को कायम रखने के बीच एक बहुआयामी आधार है।

प्र. अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हुए उदारवादी स्वायत्त एवं स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि व्यक्ति, मूलत: संस्कृति व समुदाय का सदस्य होता है। राज्य द्वारा निर्मित विधियों पर संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है।

- बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार, राष्ट्र-राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है।
- विभेदकारी नागरिकता प्रस्तुत करते हुए बहुसंख्यकवादियों ने अल्पसंख्यकों के लिए तीन विशेष अधिकारों का समर्थन किया-

1) सांस्कृतिक अधिकार 2) स्वशासित सरकार का अधिकार
3) विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार

- चूंकि राज्य, बहुमत समुदाय की संस्कृति को प्रकट करता है। इसलिए अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कनाडा में सिक्खों ने हेलमेट पहनने की छूट देने की मांग की और कनाडाई सरकार ने उनकी मांग को स्वीकृत कर लिया, साथ ही कनाडा में एशियाई मूल की महिलाओं को भी नर्सों की निर्धारित पोशाक से छूट प्रदान की गई।

6

लोकतंत्र

प्र. विमर्शी लोकतंत्र नागरिकों के मध्य सार्वजनिक मुद्दों के संबंध में लोकतांत्रिक निर्णयन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: विमर्शी लोकतंत्र एक ऐसा लोकतांत्रिक तंत्र है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संवाद और विचार-विमर्श को प्राथमिकता देता है। इसमें नागरिक संवाद, चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति तक पहुँचते हैं, ताकि निर्णय जानकारीपूर्ण, समावेशी और विविध दृष्टिकोणों एवं सामूहिक तर्कों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों।

विमर्शी लोकतंत्र सार्वजनिक मुद्दों पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने को कैसे प्रोत्साहित करता है?

- **जुर्गन हेबरमास** ने अपनी कृति **"बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स" (1996)** में लिखा है कि वैध कानून निर्माण नागरिकों के बीच सार्वजनिक चर्चा से उत्पन्न होता है, जिसमें तार्किक संवाद और संप्रेषणीय गतिविधि लोकतांत्रिक वैधता का आधार बनते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक निर्णयों की वैधता स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के बीच तर्कसंगत संवाद की प्रक्रिया से प्राप्त होती है।
- **एमी गुटमैन और डेनिस थॉम्पसन** ने अपनी कृति **"व्हाई डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी?" (2004)** में इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विचारशील लोकतंत्र प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष और सहभागी जैसे लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को समाहित करता है। उनका कहना है कि इसका मुख्य घटक यह है कि व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधियों के लिए अपने विचारों को इस तरह से उचित ठहराना आवश्यक है, जो बाध्यकारी निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए स्वीकार्य हों, और वे संवाद के लिए खुले रहें।
- **जेन मैन्सब्रिज** ने अपनी पुस्तक **"एवरीडे टॉक इन द डिलिबरेटिव सिस्टम"** (2012) में तर्क दिया है कि बहस केवल औपचारिक राजनीतिक संस्थानों में ही नहीं, बल्कि कई अन्य आपस में जुड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में भी होती है। उन्होंने **विविध सामाजिक संदर्भों में अनौपचारिक चर्चाओं** के महत्व को रेखांकित किया, जो समग्र विचारशील प्रणाली को सशक्त बनाती हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन **सेला बेनहाबिब** ने अपनी कृति **"टुवर्ड्स अ डिलिबरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी"** (1996) में किया। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक वैधता सभी सामूहिक हितों के मुद्दों पर स्वतंत्र और निर्बाध सार्वजनिक विचार-विमर्श से उत्पन्न होती है।
- **जेम्स फिशकिन** ने अपनी पुस्तक **"डेमोक्रेसी व्हेन द पीपल आर थिंकिंग"** (2018) में विचारशील लोकतंत्र की प्रभावशीलता के लिए अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क दिया कि जब व्यक्तियों को विरोधाभासी तर्कों का गहराई से मूल्यांकन करने का अवसर दिया जाता है, तो वे सटीक राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उनका अध्ययन दर्शाता है कि संगठित विचारशील मंच अधिक जानकारीपूर्ण और विचारशील सार्वजनिक निर्णयों का परिणाम दे सकते हैं।
- **आईरिस मेरियन यंग** ने अपनी कृति **"इनक्लूजन एंड डेमोक्रेसी"** (2002) में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि विचारशील प्रक्रियाओं को सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक शैली में असमानताओं को मान्यता और स्थान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रभावी विचार-विमर्श के लिए न केवल तार्किक संवाद आवश्यक है, बल्कि विभिन्न संप्रेषण और अभिव्यक्ति के तरीकों को भी स्वीकार करना चाहिए, ताकि सभी नागरिक, उनकी पृष्ठभूमि या संवाद शैली की परवाह किए बिना, लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण में सार्थक रूप से भाग ले सकें।

इस प्रकार, विमर्शी लोकतंत्र नागरिकों के बीच समावेशी और विचारशील संवाद को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण की गुणवत्ता और वैधता को सुधारने का प्रयास करता है। यह सहयोगी तर्क और सहमति निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक निर्णय लोकतांत्रिक वैधता रखते हों और विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हों।

प्र. समकालीन लोकतंत्र की सफलता, राज्य द्वारा अपनी शक्ति को सीमित करने में निहित है। स्पष्ट कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: आधुनिक लोकतंत्रों की सफलता निर्विवाद रूप से राज्य द्वारा अपने अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों पर निर्भर है, जिसे आमतौर पर 'सीमित सरकार' के विचार के रूप में जाना जाता है। इस अवधारणा का समर्थन कई विद्वानों ने किया है, जिनमें जॉन स्टुअर्ट मिल, सी.बी. मैकफर्सन और अन्य शामिल हैं।

- जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व और राज्य शक्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मिल का मानना था कि व्यक्तियों को राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना अपनी खुशी हासिल करने की आजादी होनी चाहिए।
- उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की शक्ति को सीमित करना बहुमत के अत्याचार को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को अपने विचारों को विकसित करने और अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार जीने का अवसर मिले। उदाहरण के लिए, भारतीय लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अनुचित राज्य हस्तक्षेप के बिना अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

7 शक्ति, प्राधान्य, विचारधारा और वैधता की संकल्पना

प्र. "शक्ति तथा आधिपत्य के बीच संबंध" पर टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राजनीति विज्ञान में, शक्ति का अर्थ है व्यक्तियों या संस्थाओं की दूसरों के कार्यों को प्रभावित करने और मनचाहा परिणाम प्राप्त करने, दबाव, अनुनय या अधिकार का उपयोग करने की क्षमता। यह विचार आधिपत्य से निकटता से जुड़ा हुआ है, हालांकि वे अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं।

- राजनीतिक सिद्धांतकार **स्टीवन ल्यूक्स** द्वारा "थ्री फेसेज ऑफ पावर" का प्रतिमान इस संबंध को स्पष्ट करता है।

प्रत्यक्ष शक्ति प्रत्यक्ष निर्णय लेने के माध्यम से कार्य करती है, जबकि आधिपत्य द्वितीयक और तृतीयक आयामों के माध्यम से कार्य करता है - एजेंडा का प्रबंधन करना और वरीयताओं को प्रभावित करना।

- **एंटोनियो ग्राम्स्की का** अध्ययन यह दर्शाता है कि आधिपत्य सांस्कृतिक और बौद्धिक वर्चस्व का सृजन करके साधारण सत्ता से आगे निकल जाता है, जिससे सत्ता की गतिशीलता स्वाभाविक और वैध प्रतीत होने लगती है।
- **मिशेल फौकॉल्ट की** शक्ति-ज्ञान की अवधारणा इस संबंध को स्पष्ट करती है। उनका तर्क है कि शक्ति केवल बल प्रयोग के माध्यम से ही नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य की प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से भी कार्य करती है। इस अर्थ में, आधिपत्य सामाजिक संस्थाओं, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से शक्ति संबंधों के संस्थागतकरण को दर्शाता है।
- **जोसेफ नेइ द्वारा** हार्ड और सॉफ्ट पावर के बीच का अंतर सीधे तौर पर आधिपत्यपूर्ण प्रभुत्व से संबंधित है। हार्ड पावर पारंपरिक बलपूर्वक क्षमताओं को दर्शाता है, जबकि सॉफ्ट पावर, जो आकर्षण और अनुनय के माध्यम से संचालित होती है, आधिपत्यपूर्ण प्रभुत्व से निकटता से जुड़ी हुई है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे प्रमुख समूह केवल बल प्रयोग के बजाय सहमति से प्रभुत्व बनाए रखते हैं।
- **रॉबर्ट कॉक्स** भौतिक शक्ति और वैचारिक अधिकार दोनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आधिपत्य के कामकाज को रेखांकित करते हैं। प्रभावशाली सरकारें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मानदंडों का निर्माण करके आधिपत्य विकसित करती हैं जो उनकी शक्ति को प्रतिबिंबित और मजबूत करती हैं, जिससे उनका प्रभुत्व सभी के लिए वैध और लाभकारी प्रतीत होता है।

सत्ता-आधिपत्य की गतिशीलता यह समझने के लिए आवश्यक है कि किस प्रकार राजनीतिक सत्ता को स्पष्ट दबाव और सूक्ष्म अनुनय के माध्यम से कायम रखा जाता है, तथा स्थापित सत्ता ढांचे को कायम रखने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों को किस प्रकार ढाला जाता है।

प्र. वैधता राजनीतिक सत्ता और दायित्व में सकारात्मक मूल्य जोड़ती है। विवेचना कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: वैधता का अर्थ है किसी सरकार या प्राधिकरण को शासन करने का स्वीकृत अधिकार, जो कानूनी, नैतिक, या सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह लोगों द्वारा अधिकार की स्वीकृति और तर्कसंगतता को दर्शाती है, जो एक राजनीतिक ढांचे के भीतर स्थिरता और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है।

- राजनीतिक सिद्धांत में वैधता और राजनीतिक अधिकार के बीच की अंत:क्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ वैधता एक मौलिक घटक के रूप में कार्य करती है, जो साधारण शक्ति को मान्यता प्राप्त अधिकार में परिवर्तित करती है।

वैधता, राजनीतिक अधिकार और दायित्व के बीच संबंध

- **डेविड बीथम** अपनी पुस्तक **"द लीजीटिमेशन ऑफ पावर"** में तर्क करते हैं कि वैधता न केवल शासन करने के अधिकार को समाहित करती है, बल्कि उन परिस्थितियों की स्थापना भी करती है, जो शक्ति के प्रभावी और सतत उपयोग को सक्षम बनाती हैं। यह दृष्टिकोण वैध प्राधिकरण के महत्व को रेखांकित करता है, जो बल प्रयोग की आवश्यकता को कम करता है और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देता है।
- **मैक्स वेबर** ने अपनी कृति **"इकोनॉमी एंड सोसाइटी"** में वैध प्राधिकरण के तीन स्रोतों को परिभाषित किया: पारंपरिक, करिश्माई, और कानूनी-तार्किक। वेबर बताते हैं कि प्रत्येक प्रकार की वैधता विशिष्ट राजनीतिक दायित्व उत्पन्न करती है, और आधुनिक राष्ट्र मुख्यत: स्थापित संस्थानों और प्रक्रियाओं के माध्यम से कानूनी-तार्किक वैधता पर निर्भर करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव आधुनिक राष्ट्रों में राजनीतिक नेताओं को वैधता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।
- **टॉम टायलर** अपनी पुस्तक **"व्हाई पीपल ओबे द लॉ"** में अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वैधता राजनीतिक शक्ति को सशक्त बनाती है। उनका तर्क है कि जब लोग प्राधिकरण को वैध मानते हैं, तो वे स्वेच्छा से उसके निर्णयों और निर्देशों का पालन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। उनके शोध से पता चलता है कि वैधता कर अनुपालन, कानून पालन और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देती है, बिना निरंतर प्रवर्तन की आवश्यकता के।

8

राजनैतिक विचारधाराएं

प्र. "उदारवाद के पतन" पर टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राजनीति विज्ञान में उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक शासन और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। **जॉन लॉक**, जिन्हें अक्सर उदारवाद के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है, ने **जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति** के प्राकृतिक अधिकारों को रेखांकित किया और तर्क दिया कि सरकार का कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक के **"टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट"** ने समकालीन उदार लोकतंत्रों की नींव रखी।

- **नवउदारवाद** के उदय ने बाजार-केंद्रित नीतियों पर जोर दिया, जिससे सामाजिक निष्पक्षता खत्म हो गई। **वैश्वीकरण** ने आर्थिक असमानताओं और सांस्कृतिक संघर्षों को जन्म दिया है, जिससे सार्वभौमिक आदर्शों की उदारवादी धारणा कमजोर हुई है।
- **लोकलुभावनवाद और अधिनायकवाद** ने गति पकड़ी है, उदारवादी अभिजात वर्ग की निंदा की है और राष्ट्रवाद की वकालत की है। इसके अलावा, उत्तर आधुनिकतावाद ने सार्वभौमिक सत्य और तर्क को चुनौती दी है जिस पर उदारवाद निर्भर था, जिसके परिणामस्वरूप वैचारिक आम सहमति का विघटन हुआ।
- आधुनिक समय में उदारवाद का ह्रास कई देशों में स्पष्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकलुभावनवाद का उदय, जिसका उदाहरण डोनाल्ड ट्रम्प जैसे व्यक्ति हैं, ने उदार मूल्यों को चुनौती दी है, **राष्ट्रवाद** और वैश्वीकरण के प्रति आलोचनात्मक रुख को उजागर किया है।
- **हंगरी और पोलैंड** जैसे राष्ट्रों ने अधिनायकवाद की ओर संक्रमण का अनुभव किया है, जहां **विक्टर ओर्बन** और लॉ एंड जस्टिस पार्टी जैसे लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं। ये उदाहरण राजनीतिक आंदोलनों की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन के उदारवादी आदर्शों की कीमत पर राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा पर जोर देते हैं।

प्र. मार्क्सवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो अपने मूल सिद्धांतों के सख्त अनुपालन की मांग करता है। टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: मार्क्सवाद **कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स** द्वारा तैयार की गई एक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो पूंजीवाद का विरोध करती है और वर्गहीन और राज्यविहीन समाज को बढ़ावा देती है। **ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और मूल्य का श्रम सिद्धांत** मार्क्सवाद के लिए मौलिक तत्व हैं।

- मार्क्स ने तर्क दिया कि इतिहास भौतिक परिस्थितियों और पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग (मजदूर वर्ग) के बीच वर्ग संघर्षों से प्रेरित है। **"कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो"** में, मार्क्स ने जोर देकर कहा, "पहले से मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है।"
- मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों में **ऐतिहासिक भौतिकवाद शामिल है,** जो यह दावा करता है कि भौतिक स्थितियां और आर्थिक कारक समाज और इतिहास को प्रभावित करते हैं; वर्ग संघर्ष, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालता है जिसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन होता है; और मूल्य का श्रम सिद्धांत, जो दावा करता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम के समय की मात्रा से निर्धारित होता है।

सख्त अनुपालन की आवश्यकता

- मार्क्सवाद एक व्यावहारिक सिद्धांत है, जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए क्रांतिकारी कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मार्क्स ने अपने रचना **"थीसिस ऑन फ्यूअरबैक"** में **इस बात पर जोर देते हुए** कहा, **"दार्शनिकों ने केवल विभिन्न तरीकों से विश्व की व्याख्या की है; महत्वपूर्ण यह है कि इसे बदला जाए,"** यह वाक्य वास्तविक और परिवर्तनकारी कार्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- मार्क्सवाद क्रमिक प्रगति के बजाय **क्रांतिकारी परिवर्तन को बढ़ावा देता है। मार्क्स और एंगेल्स का तर्क था कि पूंजीवादी व्यवस्था को अंदर से नहीं बदला जा सकता, बल्कि सामूहिक कार्रवाई के जरिए उसे खत्म किया जा सकता है।** इसके लिए मजदूर वर्ग को संगठित करना, वर्ग जागरूकता बढ़ाना और समाजवादी राज्य बनाने के लिए क्रांति का नेतृत्व करना जरूरी है।
- मार्क्सवादी व्यवहार में वास्तविक कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें श्रमिक आंदोलनों का संगठन, यूनियनों और हड़तालों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की वकालत, तथा बेहतर परिस्थितियों और वेतन की मांग शामिल है।
- **राजनीतिक सक्रियता** में समाजवादी नीतियों के लिए पैरवी करना, चुनाव में भाग लेना और मजदूर वर्ग के लाभ के लिए सरकारी नीतियों को आकार देना शामिल है। एकजुटता को बढ़ावा देने, वर्ग संघर्ष के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने और स्थानीय चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने के लिए सामुदायिक संगठन आवश्यक है।
- ऐतिहासिक उदाहरणों में **1917 की रूसी क्रांति शामिल है,** जहां बोल्शेविकों ने समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए जारवादी शासन को उखाड़ फेंका, और **1959 की क्यूबा क्रांति,** जहां

9

भारतीय राजनैतिक चिंतन

प्र. धर्मशास्त्र व्यक्तियों और समुदायों के लिए कर्तव्य केन्द्रित विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: धर्मशास्त्र एक विस्तृत कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो जटिल दायित्वों और जिम्मेदारियों की प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित करता है। **"धर्मसूत्राज: द लॉ कोड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया"** में **पैट्रिक ओलिवेल** स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल धार्मिक कर्तव्य का संकेत नहीं करता, बल्कि इसमें सामाजिक, नैतिक और कानूनी दायित्व भी शामिल हैं, जो ब्रह्मांडीय और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। दायित्व की यह व्यापक धारणा व्यक्तिगत नैतिकता से आगे बढ़कर सामुदायिक समरसता को समाहित करती है।

व्यक्तियों और समुदायों के लिए कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोण पर विविध विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण

- **"द स्पिरिट ऑफ हिंदू लॉ"** में **डोनाल्ड डेविस** जूनियर बताते हैं कि धर्मशास्त्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में कर्तव्यों को परिभाषित करता है। वे यह तर्क देते हैं कि प्रत्येक सामाजिक स्थिति विशिष्ट दायित्वों को समाहित करती है, जो व्यक्ति की पहचान से अंतर्निहित रूप से जुड़ी होती हैं। वे उदाहरण देते हैं, जैसे **राजा का अपने प्रजाजनों की रक्षा करना,** शिक्षक का ज्ञान को सही ढंग से प्रदान करना, और बच्चों का अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना। इन जिम्मेदारियों को ऐच्छिक नैतिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौलिक तत्व माना गया।
- **वेंडी डोनिगर** अपनी पुस्तक **"द लॉज ऑफ मनु"** में इस बात पर जोर देती हैं कि मनुस्मृति जीवन के विभिन्न चरणों (आश्रम) और सामाजिक वर्गों (वर्ण) से संबंधित जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। वह कहती हैं कि गृहस्थ के कर्तव्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि वे बलिदान, दान, और पारिवारिक वंश को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पूरे सामाजिक ढांचे को स्थिर बनाए रखते थे।
- **"हिंदू लॉ: बियॉन्ड ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी"** में **वर्नर एफ. मेन्स्की** धार्मिक दायित्वों के लचीलेपन पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि धर्मशास्त्र ने दायित्वों के स्थान (देश), समय (काल), और व्यक्ति (पात्र) के अनुसार संदर्भात्मक अनुप्रयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया। यह अनुकूलनशीलता बुनियादी सिद्धांतों के संरक्षण को संभव बनाती है। उनके लेखन में यह भी चर्चा होती है कि संकट (आपद धर्म) के समय में जिम्मेदारियों को कैसे बदला जा सकता है, जबकि नैतिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा जाता है।
- **स्टेफनी जैमिसन** अपनी पुस्तक **"द रेवेनस हायनास एंड द वूंडेड सन"** में धर्मशास्त्र में धार्मिक कार्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के एकीकरण को प्रदर्शित करती हैं। उनका अध्ययन दिखाता है कि कैसे खाना पकाने और खाने जैसे दैनिक क्रियाकलापों को भी धार्मिक महत्व से जोड़ा गया, जिससे दैनिक जीवन धार्मिक दायित्वों की निरंतर अभिव्यक्ति बन गया। इस दायित्वों के नेटवर्क ने एक ऐसा दृष्टिकोण स्थापित किया, जिसमें व्यक्तिगत गतिविधियों को हमेशा उनके व्यापक सामाजिक और ब्रह्मांडीय परिणामों से जोड़ा गया।

धर्मशास्त्र एक कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करता है, जो व्यक्तियों और समाज के लिए नैतिक दायित्वों को रेखांकित करता है। यह ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को सामाजिक संरचना के साथ एकीकृत करता है, सदाचारी व्यवहार और सामुदायिक संतुलन का निर्देशन करता है। आध्यात्मिक और व्यावहारिक आयामों को संतुलित करते हुए, धर्मशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन में सांस्कृतिक और कानूनी मानकों के गठन पर आज भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

प्र. मानवेन्द्रनाथ रॉय ने अपने राजनीतिक विचारों में मार्क्सवाद के मानवतावादी पहलुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाया है। विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: मार्क्सवाद के मानवतावादी आयाम मानव क्षमता की मुक्ति और विकास पर बल देते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मकता, और आत्म-सिद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। कार्ल मार्क्स ने इन अवधारणाओं को अपनी प्रारंभिक रचनाओं, विशेष रूप से **"इकोनॉमिक एंड फिलॉसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844"** में व्यक्त किया, जहाँ उन्होंने पराएपन (alienation) और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की चर्चा की।

रॉय का मार्क्सवाद के मानवतावादी पहलुओं पर जोर

- मानवेन्द्रनाथ रॉय का राजनीतिक चिंतन मार्क्सवादी विश्लेषण और मानवतावादी दर्शन का एक अद्वितीय समन्वय है, जो मार्क्सवाद का एक मानवतावादी दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन प्रदान करता है। **"रेडिकल ह्यूमैनिज्म" में वी.एम. तारकुंडे** ने स्पष्ट किया है कि रॉय की **"न्यू ह्यूमैनिज्म"** की अवधारणा ने मार्क्सवाद के मुक्तिकारी सार को बनाए रखने का प्रयास किया, जबकि इसके नियतात्मक (deterministic) पहलुओं को खारिज किया।

10

पाश्चात्य राजनैतिक चिंतन

प्र. "क्रांति पर लॉक के विचार" पर टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: क्रांति पर जॉन लॉक का दृष्टिकोण सामाजिक अनुबंध और प्राकृतिक अधिकारों की उनकी धारणा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। लॉक के अनुसार, क्रांति तब उचित है जब सरकार व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने की उपेक्षा करती है या सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करती है।

- उन्होंने इन दृष्टिकोणों को अपनी **"सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट"** में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अधिकार शासितों की सहमति से प्राप्त होता है, जो अपने **जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के बदले में नियंत्रित होने की सहमति देते हैं।**
- अपने समकालीनों के विपरीत, जो क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के लिए मौलिक रूप से हानिकारक मानते थे, लॉक ने तर्क दिया कि क्रांति का अधिकार राजनीतिक सत्ता पर एक आवश्यक संयम के रूप में कार्य करता है।
- जब शासक लगातार प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करके, अपनी शक्ति का अतिक्रमण करके या सामान्य हितों की उपेक्षा करके अत्याचारी बन जाते हैं, तो जनता के पास उनकी सहमति को रद्द करने और एक नई सरकार स्थापित करने का अधिकार होता है।
- क्रांति का अधिकार केवल एक सैद्धांतिक धारणा नहीं है, बल्कि सरकारी जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है।
- लॉक ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रांति अंतिम उपाय होनी चाहिए, न कि तुच्छ शिकायतों की प्रतिक्रिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यक्ति अपने नेताओं के साथ स्वाभाविक रूप से धैर्यवान होते हैं और आम तौर पर क्रांति शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण प्रतिकूलताओं को सहन कर लेते हैं।
- लॉक के अनुसार, कानूनी क्रांति की आवश्यकता तभी होती है जब "दुरुपयोगों की एक लंबी श्रृंखला" मौजूद हो जो स्पष्ट रूप से शासक की जनता की मौलिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की इच्छा को इंगित करती हो। यह सतर्क दृष्टिकोण लॉक के सिद्धांत को क्रांतिकारी अधिकारों की अधिक चरम व्याख्याओं से अलग करता है।

क्रांति पर लॉक के दृष्टिकोण ने बाद की राजनीतिक क्रांतियों, विशेष रूप से **अमेरिकी क्रांति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। स्वतंत्रता की घोषणा** में क्रांति का औचित्य लॉक के तर्कों के समान है, जो समकालीन लोकतांत्रिक विचारों और सरकारों और उनके घटकों के बीच गतिशीलता को प्रभावित करने में उनके राजनीतिक सिद्धांत के स्थायी व्यावहारिक महत्व को दर्शाता है।

प्र. प्लेटो के रूपों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: प्लेटो का रूप या प्रत्यय या विचार सिद्धांत यह मानता है कि भौतिक संसार केवल एक श्रेष्ठ और अपरिवर्तनीय वास्तविकता का प्रतिबिंब है, जिसमें पूर्ण, शाश्वत "रूप" या "विचार" विद्यमान हैं। ये रूप सुंदरता, न्याय और सद्गुण जैसे अवधारणाओं के मूल स्वभाव को व्यक्त करते हैं, जो अपरिवर्तनीय हैं और केवल तर्क और बौद्धिक क्षमता के माध्यम से सुलभ हैं। प्लेटो का यह सिद्धांत पश्चिमी दर्शन में अत्यधिक प्रभावशाली और विवादास्पद रहा है।

रूपों के सिद्धांत (Theory of Forms) की समालोचना

- "प्लेटोनिक स्टडीज" में ग्रेगरी व्लास्टोस का तर्क है कि प्लेटो का सिद्धांत दिखावे के प्रत्यक्ष क्षेत्र और रूपों के समझदार क्षेत्र के बीच एक मौलिक द्वैतवाद को चित्रित करता है, यह मानते हुए कि सच्चा ज्ञान केवल अपरिवर्तनीय रूपों के संबंध में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि संवेदी दुनिया केवल राय पैदा करती है। यह दृष्टिकोण प्लेटो के अमूर्त, सार्वभौमिक सिद्धांतों को विशिष्ट, ठोस स्थितियों पर प्राथमिकता देने की प्रवृति को प्रदर्शित करता है।
- **अरस्तू** ने अपनी कृति "मेटाफिजिक्स" में प्लेटो के रूप सिद्धांत की आलोचना "थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट" के माध्यम से की। **गैल फाइन** अपनी पुस्तक "ऑन आइडियाज" में बताते हैं कि यह तर्क प्लेटो के सिद्धांत में एक संभावित अनंत प्रतिगमन को उजागर करता है।
- उनका तर्क है कि यदि विशेषताओं के बीच सामान्यता को समझाने के लिए एक रूप आवश्यक है, तो पहले रूप और उसके विशेषताओं के बीच सामान्यता को समझाने के लिए एक और रूप आवश्यक होगा, और यह प्रक्रिया अनंत तक चल सकती है।
- **"वर्चूज ऑफ ऑथेंटिसिटी" में अलेक्जेंडर नेहेमास इस तर्क** का विस्तार करते हुए कहते हैं कि प्लेटो का दर्शन आदर्श रूपों के एक अलग संसार का प्रस्ताव देकर वास्तविकता को अनावश्यक रूप से पुनरावृत्त करता है।
- प्लेटो के विचार के समर्थकों में **रिचर्ड पैटरसन, अपनी पुस्तक "इमेज एंड रियलिटी इन प्लेटोज्श मेटाफिजिक्स"** में तर्क करते हैं कि यह सिद्धांत अमूर्त अवधारणाओं और नैतिक सत्यों को समझने के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है। पैटरसन का कहना है कि रूप वास्तविकता को समझने और वस्तुनिष्ठ ज्ञान स्थापित करने के लिए आवश्यक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं।
- **निकोलस व्हाइट "प्लेटो ऑन नॉलेज एंड रियलिटी"** में इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, यह रेखांकित करते हुए कि रूप सिद्धांत ज्ञान और वस्तुनिष्ठ सत्य की संभावना के बारे में मूलभूत दार्शनिक मुद्दों का समाधान करता है।

भारतीय शासन एवं राजनीति

1 भारतीय राष्ट्रवाद

प्र. स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारतीय समाज में समतावाद की स्थापना में दलित संघर्ष के योगदान की विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलितों के संघर्ष ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता से ऐतिहासिक रूप से पीड़ित समूहों द्वारा सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और राजनीतिक भागीदारी की जोरदार मांग का उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक पदानुक्रमों का मुकाबला करना और एक समतावादी समाज का निर्माण करना था।

समतावाद की स्थापना में दलित संघर्ष का योगदान

- दलितों के प्रमुख नेता **डॉ. बीआर अंबेडकर** ने इस संघर्ष को सामाजिक न्याय के लिए एक व्यापक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने **बहिष्कृत हितकारिणी सभा और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी** जैसी संस्थाओं के माध्यम से दलितों को उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए संगठित किया। ऐतिहासिक **महाड़ सत्याग्रह (1927)**, जिसमें दलितों ने सार्वजनिक जल आपूर्ति तक पहुँच के अपने अधिकार का दावा किया, जाति-आधारित बहिष्कार का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
- विद्वान **एलेनोर जेलियट** इस बात पर जोर देते हैं कि दलित संघर्ष ने सामाजिक सुधार के साधन के रूप में **शैक्षिक सशक्तिकरण** की शुरुआत की। **अंबेडकर द्वारा 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी** जैसी संस्थाओं की स्थापना ने दलितों के लिए शिक्षा की संभावनाओं को सुगम बनाया, जिससे हाशिए पर पड़े लोगों से ज्ञान के ऐतिहासिक बहिष्कार को खत्म किया जा सका।
- इस आंदोलन ने **राजनीतिक जागरूकता** को काफी हद तक बढ़ाया। गोलमेज सम्मेलन (1930-32) में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग, जिसे अंतत: **पूना समझौते** के माध्यम से सुलझाया गया, ने दलितों को एक अलग राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। इतिहासकार **गेल ओमवेट का** मानना है कि इस राजनीतिक दावे ने मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन को जातिगत भेदभाव को एक प्रमुख सामाजिक चिंता के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर किया।
- अखिल **भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन (1930)** ने सामाजिक लोकतंत्र की एक विस्तृत दृष्टि व्यक्त की, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक और सामाजिक समानता दोनों की वकालत की गई। इसने मुक्ति संघर्ष के मापदंडों को राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़ाकर **सामाजिक क्रांति** तक पहुँचा दिया।
- मंदिर प्रवेश आंदोलनों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खंडन द्वारा दर्शाए गए सांस्कृतिक पुष्टि पर आंदोलन का ध्यान जाति व्यवस्था की वैचारिक नींव पर था। विद्वान **कांचा इलैया** का तर्क है कि **ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ एक जवाबी आख्यान** तैयार करने में यह सांस्कृतिक प्रतिरोध आवश्यक था।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दलितों के संघर्ष ने भेदभाव और आरक्षण योजनाओं के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा की नींव रखी। सम्मान और समानता के लिए उनके अथक संघर्ष ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को नाटकीय रूप से बदल दिया, जिससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे में सामाजिक न्याय की स्थापना हुई।

प्र. डॉ. अंबेडकर का स्पष्ट आह्वान, ''शिक्षित हो, आन्दोलन करो और संगठित हो'', नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की दिशा में दलित आन्दोलन की रणनीति बनाता है। विवेचन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: समाज सुधारक और भारत के पहले न्याय मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में "शिक्षित हो, आन्दोलन करो और संगठित हो" नामक इस नारे का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि जाति उत्पीड़न को रोकने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है।

- किसी संगठन या आंदोलन को सफल बनाने के संदर्भ में इस नारे का अर्थ निम्नवत् है-
  - **शिक्षित हो**- हमें अपनी सारी बुद्धिमता की आवश्यकता होगी।
  - **आंदोलन करो**- हमें अपने पूरे उत्साह की आवश्यकता होगी।
  - **संगठित हो**- हमें अपनी पूरी ताकत की आवश्यकता होगी।
- जर्मन समाजवादी विल्हेम लिबनेक्त (Wilhelm Liebknecht) ने भी इसी तरह के नारे को यूरोपीय महाद्वीप पर बड़े पैमाने पर दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया था।
- अम्बेडकर और लिबनेक्त ने समझा कि एक आंदोलन खड़ा करने के लिए ये तीनों काम एक साथ करने होंगे।
- अम्बेडकर के लिए, यह किसी सोच में कट्टरता या व्यवहार में सांप्रदायिक होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका था।
- अम्बेडकर इस परिप्रेक्ष्य से काफी हद तक सहमत थे और उन्होंने यह कहा कि इस नारे ने दलित वर्ग के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक कार्यों को एक में मिलाने की आवश्यकता को सही ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

2 भारत के संविधान का निर्माण

प्र. "संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प" पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य संकल्प (प्रस्ताव) में देश के भावी संविधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें लोगों की संप्रभुता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता तथा अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था।

महत्व

- संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव काफी ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व रखता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान के लिए मौलिक विचारों को स्थापित किया और एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को रेखांकित किया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीतिक आकांक्षाओं को विशिष्ट संवैधानिक लक्ष्यों में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया, जिससे भारत के लिए एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नींव रखी गई।
- यह प्रस्ताव लोकप्रिय संप्रभुता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे आवश्यक आदर्शों की अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसने शासन के मूलभूत ढांचे को परिभाषित किया, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मजबूत एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जबकि इसकी विविधता को अपनाया। दस्तावेज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना संस्थापक पिताओं के प्रगतिशील आदर्शों और भारतीय समाज को सुधारने के लिए उनके समर्पण को दर्शाता है।
- इसके अलावा, प्रस्ताव में समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आदर्शों का समावेश भारत के सांस्कृतिक इतिहास को मान्यता देते हुए समकालीन लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
- इसने **संविधान की प्रस्तावना के लिए दार्शनिक आधार** स्थापित किया और कई संवैधानिक खंडों के निर्माण को प्रभावित किया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने पर संकल्प का ध्यान भारत के विकासात्मक राज्य प्रतिमान के लिए आधार तैयार करता है।

निष्कर्ष में, उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की वैचारिक नींव का उदाहरण है और संवैधानिक व्याख्या में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसका स्थायी महत्व न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण है, बल्कि इसके स्थायी आदर्शों की अभिव्यक्ति के कारण भी है जो भारत के **संवैधानिक न्यायशास्त्र और लोकतांत्रिक विकास** को लगातार प्रभावित करते हैं।

प्रस्तावना का एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और लोकतांत्रिक भारत का लक्ष्य आज भी संवैधानिक चर्चाओं और शासन में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

प्र. "भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान की छाप" पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: भारत के संविधान को विश्व के सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। विभिन्न देशों के संविधानों के साथ-साथ भारत सरकार अधिनियम-1935 के लगभग 250 प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।

- संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत तथा कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध) काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
- भारत के संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपतीय प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है।
- भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है।
- भले ही भारत द्वारा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, बावजूद इसके संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी गई है।

प्र. भारत का संविधान 'राष्ट्र की आधारशिला' है। (ग्रेनविल ऑस्टिन)। विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: भारतीय संविधान, राष्ट्र के सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज के रूप में, उस ढांचे की स्थापना करता है जो राजनीतिक सिद्धांतों को नियंत्रित करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है, तथा मौलिक अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

- यह भारत के लोकतांत्रिक शासन का आधार है, जो यहां विधि के शासन, समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है।

3 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

प्र. "भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता" पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: संविधान सभा की बहसों में डॉ. बीआर अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक नैतिकता में न केवल संवैधानिक पाठ का पालन करना शामिल है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन, संस्थागत अखंडता और सामाजिक निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता भी शामिल है। भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता एक ऐसे मूल मूल्य को दर्शाती है जो संवैधानिक व्याख्या और लोकतांत्रिक प्रशासन को निर्देशित करता है।

- 2018 के ऐतिहासिक **नवतेज सिंह जौहर मामले** में कहा गया कि संवैधानिक नैतिकता संविधान के सार को व्यक्त करती है, जो परिवर्तनकारी संवैधानिकता (Transformative Constitutionalism) की प्राप्ति के लिए समर्पित है। सुप्रीम कोर्ट ने **सबरीमाला मंदिर मामले (2018)** में यह कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज में संवैधानिक नैतिकता धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं से ऊपर होनी चाहिए।
- **"द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन"** में गौतम भाटिया लिखते हैं कि संवैधानिक नैतिकता बहुसंख्यकवाद (Majoritarianism) की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। यह दृष्टिकोण 2017 के **ट्रिपल तलाक मामले** में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से मेल खाता है कि संवैधानिक नैतिकता व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करती है, जो उन परंपराओं के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं।
- हालांकि, **प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी** एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) से बचा जा सके।
- यह चर्चा उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ न्यायालय संवैधानिक नैतिकता का उपयोग कानूनों या प्रथाओं को अमान्य करने के लिए करता है।
- **2017 के पुट्टस्वामी मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को गोपनीयता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता से जोड़ा, इस विचार को और आगे बढ़ाया।

इस प्रकार, संवैधानिक नैतिकता एक गतिशील सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, जो मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अनुकूलित होती है और संवैधानिक ढांचे के भीतर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है।

प्र. "भारतीय संविधान के भाग III में विधिक उपचार" पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भारतीय संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है और **अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से पर्याप्त कानूनी उपचार** प्रदान करता है, जिससे अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा तैयार होती है।

संविधान के भाग III में विधिक उपचार

- अनुच्छेद 32, एक मौलिक अधिकार है, जो लोगों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने में सक्षम बनाता है, जो इसे संवैधानिक उपचारों की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे कई रिट** जारी कर सकता है, जिससे अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध होते हैं।
- **अनुच्छेद 226** उच्च न्यायालयों को समान शक्तियां प्रदान करता है, जो उन्हें मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए रिट जारी करने की अनुमति देता है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती क्षेत्राधिकार मूल अधिकारों के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा स्थापित करता है।
- यह उपचारात्मक ढांचा **जनहित याचिका (PIL)** की अवधारणा से और सुदृढ़ हुआ है, जिसे **न्यायिक व्याख्या के माध्यम से** विकसित किया गया। इसने न्याय तक पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाया है, क्योंकि यह पारंपरिक लोकस स्टैंडी (लोगों का अधिकार सीधे प्रभावित होना) की आवश्यकता को कम करते हुए परोपकारी व्यक्तियों को हाशिये पर खड़े समूहों की ओर से न्याय की मांग करने की अनुमति देता है। न्यायालयों ने निरंतर मैंडमस जैसे नवीन उपाय भी तैयार किए हैं, जो उनके आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन की गारंटी प्रदान करते हैं।
- भाग III में उल्लिखित विधिक उपचार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही को लागू करने के लिए एक सशक्त ढांचा प्रस्तुत करते हैं। इस **ढांचे की प्रभावशीलता न्यायिक सक्रियता और नवीन व्याख्याओं** के माध्यम से बढ़ी है, जिससे यह न्याय का एक गतिशील उपकरण बन गया है। विभिन्न मंचों की उपलब्धता, विविध रिट्स, और जनहित याचिका के विकास ने एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है, जो आधुनिक समस्याओं का समाधान करते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार विकसित हो रही है। यह उपचारात्मक ढांचा भारत के संवैधानिक लोकतंत्र और विधि के शासन के लिए आधारभूत है।

4 केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रधान अंग

प्र. "विधान परिषद की प्रासंगिकता" पर टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: विधान परिषद, जो राज्यों की विधायिका का उच्च सदन है, भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता को लेकर एक जटिल प्रश्न प्रस्तुत करती है।

विधान परिषद पर विविध दृष्टिकोण

- संवैधानिक विद्वान **सुभाष कश्यप** का तर्क है कि ये परिषदें विचारशील निकायों के रूप में कार्य करती हैं, जो अनुभवी पेशेवरों को सीधे चुनावी दबावों से मुक्त होकर विधायी प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं। **अनुच्छेद 171** के तहत स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को परिषद में शामिल करना विशेष विशेषज्ञता और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से विधायी विचार-विमर्श को समृद्ध कर सकता है।
- हालांकि, **आलोचकों, जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी,** ने परिषदों की सीमाओं को रेखांकित किया है। इन परिषदों पर अक्सर विधायी प्रक्रियाओं में **अनावश्यक देरी** करने और राज्य कोष पर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया जाता है। इस दृष्टिकोण को पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में **विधान परिषदों के उन्मूलन** से और बल मिलता है।
- **"संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग"** ने देखा कि ये परिषदें कभी-कभी असफल राजनीतिज्ञों के पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करती हैं, बजाय इसके कि वे अपने प्राथमिक विधायी निरीक्षण की भूमिका को पूरा करें।
- **एम. पी. सिंह ने** इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि परिषद की शक्ति **मुख्य रूप से सलाहकार** होती है, क्योंकि यह धन विधेयकों को पारित होने से नहीं रोक सकती और अन्य विधेयकों को अधिकतम चार महीने तक ही विलंबित कर सकती है।
- सीमित अधिकार, परिषद के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव या नामांकन के साथ मिलकर, उनके लोकतांत्रिक वैधता और सार्वजनिक हितों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता पर प्रश्न खड़े करते हैं।

यद्यपि विधान परिषद को विचार-विमर्श और ज्ञान के मंच के रूप में परिकल्पित किया गया था, लेकिन आधुनिक प्रशासन में इसकी वास्तविक प्रभावशीलता विवादास्पद है। कई राज्यों के अनुभव बताते हैं कि विधायी गुणवत्ता पर इसका प्रभाव इसकी लागत की तुलना में अक्सर नगण्य रहता है।

प्र. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विगत कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय एक नीति विकास मंच के रूप में निर्मित हुआ है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विगत कुछ वर्षों में नीति विकास में अहम भूमिका निभाई है, विशेषकर मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों में।

विगत कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के जिन निर्णयों ने नीति विकास के रूप में कार्य किया है, वे निम्नलिखित हैं-

- **जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):** इस मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) का अभिन्न अंग घोषित किया।
- **नवतेज सिंह जौहार बनाम भारत संघ (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत समलैंगिक वयस्कों के बीच निजी सहमति से यौन आचरण का अपराधीकरण स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। फैसले में IPC की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त किया गया, जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल संविधान में नित नए नवाचारों के माध्यम से इसके प्रगतिशील होने के विचार को साकार किया है तथा यह अनवरत जारी है, इसे **तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश आदि निर्णयों** के माध्यम से समझा जा सकता है।
- **'संवैधानिक नैतिकता' पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर** उभरते सामाजिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में नीति निर्माण का मार्गदर्शन करता है, जैसा कि के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017 मामले में निजता के अधिकार की व्यापक व्याख्या के रूप में देखा गया है।

- सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका, कार्यकारी और विधायी शाखाओं के साथ निरंतर संवाद में लगी रहती है। अपनी व्याख्याओं और निर्देशों के माध्यम से, शीर्ष न्यायालय संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए नीति-निर्माण को निर्देशित और प्रभावित करता है।
- दिल्ली वायु प्रदूषण मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण **'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान'** (GRAP) तैयार हुआ, जिसमें क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों की रूपरेखा तैयार की गई।

5

आधारिक लोकतंत्र

प्र. पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक ऐसा मंच है, जो लोगों की सामूहिक बुद्धिमत्ता, आकांक्षाओं और इच्छा को अभिव्यक्त करता है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तरः ग्राम सभा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243(b) में वर्णित है, एक ऐसी सभा है जिसमें गांव पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे लोकतांत्रिक शासन की मूल इकाई के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें नागरिकों की स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें आवश्यक होती हैं।

सामूहिक मंच के रूप में ग्राम सभा

- राजनीतिक विद्वान ग्राम सभा को **"ग्राम संसद" के रूप में परिभाषित करते हैं,** जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसके महत्व को उजागर करता है।

अनुच्छेद 243A राज्यों को ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है, जिससे वे सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक मंच बन जाते हैं। **ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय** ग्राम सभा के परामर्श को आवश्यक बनाते हैं, जो स्थानीय शासन में इसके अभिन्न कार्य को रेखांकित करते हैं।

- **सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यों के लिए** ग्राम सभा की बैठकें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि मनरेगा के कार्यान्वयन से स्पष्ट है, जहां ग्राम सभाएं कार्य निष्पादन और धन आवंटन की देखरेख करती हैं।
- विद्वान **जॉर्ज मैथ्यू** का तर्क है कि ग्राम सभाएं हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए प्रभावी मंच के रूप में काम करती हैं। ग्राम सभा की बैठकों में **महिलाओं (33%)** और आरक्षित श्रेणियों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व **समावेशी निर्णय** लेने की गारंटी देता है।
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने** नियोजन प्रक्रिया में ग्राम सभा के महत्व पर जोर दिया। **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में उनकी भागीदारी** नीचे से ऊपर की योजना की गारंटी देती है। आयोग ने संकेत दिया कि सक्रिय ग्राम सभाओं वाले राज्यों ने सामाजिक उपायों का बेहतर क्रियान्वयन किया।
- **जन योजना अभियान** जैसी पहलों से भागीदारी नियोजन में ग्राम सभा की महत्ता का पता चलता है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 250,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के साथ बातचीत के माध्यम से अपनी विकास योजनाएं तैयार करती हैं।
- फिर भी, बाधाएं बनी हुई हैं। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने अनियमित बैठकों और न्यूनतम भागीदारी को प्राथमिक मुद्दों के रूप में पहचाना। इन सीमाओं के बावजूद, **केरल के जन नियोजन मॉडल** जैसे सफल उदाहरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम सभा की क्षमता का उदाहरण देते हैं।

ग्राम सभा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए मौलिक है, जो शासन और विकास नियोजन में लोगों की भागीदारी को सुगम बनाती है। व्यक्तियों की इच्छाओं को निर्देशित करने में इसकी प्रभावकारिता इसे संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक बनाती है।

प्र. जिला योजना समिति के कार्य पर टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तरः प्रत्येक राज्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति की स्थापना करता है।

- संविधान का अनुच्छेद 243 ZD ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है।
- जिला योजना समितियां पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- जिला योजना में जिला स्तर पर एक विकास परिदृश्य बनाना शामिल है, जो लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षेत्र की विकास क्षमता और उपलब्ध बजटीय आवंटन के अनुरूप हो।
- ऐसी योजना से प्रत्येक जिले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जिला योजना समिति आर्थिक और सामाजिक न्याय योजना के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है जो अब एक अनिवार्य स्थानीय कार्य है।
- जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण आदि शामिल है, का ध्यान रखती है।
- यह विकास योजना प्रारूप तैयार करने में उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार भी निर्धारित करती है।

6

संवैधानिक/सांविधिक संस्थाएं

प्र. राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक **वैधानिक निकाय** है, जिसे **1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के** तहत स्थापित किया गया था, और यह जनवरी 1992 में प्रभावी हुआ। यह भारत में महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा और उन्नति के लिए समर्पित प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है।

संगठनात्मक ढांचा

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक ढांचे के साथ कार्य करता है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा नामित आवश्यक भूमिकाएं शामिल होती हैं। इस संगठन का नेतृत्व एक अध्यक्ष (Chairperson) द्वारा किया जाता है, जो महिलाओं के मुद्दों के प्रति दृढ़ निष्ठा प्रदर्शित करता है।
- अध्यक्ष की सहायता के लिए पांच सदस्य होते हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक उनके अनुभव के आधार पर चुना जाता है। ये अनुभव विभिन्न क्षेत्रों जैसे कानून, विधि निर्माण, प्रबंधन, महिला स्वयंसेवी संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, आयोग में एक सदस्य सचिव (Member Secretary) होता है, जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना, समाजशास्त्रीय आंदोलनों में निपुणता रखता है, या केंद्र सरकार में किसी प्रमुख सार्वजनिक पद पर कार्यरत होता है।

मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां

✓ **कानूनी और संवैधानिक पर्यवेक्षण**

- महिलाओं की संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच और छानबीन करने में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान कानून का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करता है और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करता है। यह संगठन संवैधानिक उल्लंघनों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनी मुद्दों के मामलों को संबोधित करता है, और इन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता है।

✓ **नीति निर्माण और कार्यान्वयन**

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) **नीति-निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों** के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह संघ और राज्य स्तर पर महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। आयोग **महिलाओं के लिए बनाए गए हिरासत स्थलों** (जैसे जेल और अन्य संस्थान) का नियमित निरीक्षण करता है, जिससे उनके अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

✓ **अनुसंधान और शैक्षिक प्रयास**

- आयोग विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रचार और शैक्षिक अध्ययन करता है। यह महिलाओं के बड़े समूहों को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित कानूनी कार्रवाइयों के लिए वित्तीय संसाधन आवंटित करता है। NCW कई चैनलों और स्थानों के माध्यम से **महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता** को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

✓ **विशेष केंद्रित क्षेत्र**

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, और दहेज से संबंधित समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। यह महिलाओं के सशक्तीकरण और लैंगिक समानता की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
- आयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति और भारत में महिलाओं के लिए एक अधिक समान समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), और विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

संक्षेप में, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करता है, जो अपने व्यापक संरचना और विविध कार्यों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

प्र. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। यह संविधान में तथा संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी करता है।

- वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
- वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

7

संघ राज्य पद्धति

प्र. क्या भारतीय संघवाद की वास्तविक कार्यप्रणाली भारतीय राज व्यवस्था में केन्द्रीकरण की प्रवृति के अनुरूप है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: संघवाद सरकार की एक प्रणाली है, जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों, जैसे केंद्र और राज्यों अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में विविधता और क्षेत्रीय स्वायतता के समायोजन की अनुमति देता है।

- भारतीय संविधान कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसे कभी-कभी अर्द्ध-संघीय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 'फेडरेशन' और 'यूनियन' दोनों के तत्व शामिल हैं।
- संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच साझा शासन के विषय शामिल हैं, समय के साथ विस्तारित हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ गया है।
- भारतीय संघवाद अपने संदर्भ में अद्वितीय है, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के तहत प्रचलित एकात्मक प्रणाली से स्वतंत्रता के बाद एक संघीय प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है।
- संविधान में संशोधन करने की शक्ति विशेष बहुमत वाली संसद में निहित है। राज्यों को प्रभावित करने वाले कुछ मामलों को छोड़कर संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की कोई भूमिका या मत नहीं है।
- उदाहरण के लिए अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने का केंद्र का निर्णय राज्य सरकार या अन्य हितधारकों से किसी परामर्श के बिना किया गया।
- सामान्य रूप से संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है।
- इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति तो राज्य में होती है, परंतु उनकी भर्ती केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी भारतीय राज व्यवस्था में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

एच.एम. सीरवई, डी.डी. बसु, सुभाष कश्यप, एम.पी. जैन जैसे विद्वान स्वीकार करते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताएं हैं, परन्तु शक्तियों के पृथक्करण एवं एक संघीय न्यायपालिका की उपस्थिति जैसे संघीय तत्व इसके संघीय चरित्र में भी योगदान करते हैं। इसलिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन पर परिप्रेक्ष्य विकसित होते रहते हैं, और भारतीय संघवाद की वास्तविक कार्यप्रणाली विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा व्याख्या और विश्लेषण के अधीन है।

प्र. संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को विस्तारित किया है। परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2022)

उत्तर: संसद और राज्य विधानसभाओं को भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति है। विधेयकों को कानूनों या संविधान में संशोधन के लिए संसद में पेश किया जाता है। लेकिन संसद को दी गई शक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप है।

- मूल संविधान के आदर्शों और दर्शन को संरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को निर्धारित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद सिद्धांत की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी हैं। मूल अधिकारों और संविधान के आदर्शों की रक्षा के लिए समय-समय पर हस्तक्षेप से न्यायपालिका द्वारा 'मूल संरचना' की अवधारणा विकसित की गई है।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे में संघीय ढांचे, भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को जोड़ा है।
- न्यायिक समीक्षा एक अदालती कार्यवाही के समान है, जिसमें एक न्यायाधीश किसी निर्णय की वैधता या सार्वजनिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करता है।
- न्यायिक समीक्षा को व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवश्यक और बुनियादी आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान में अनुच्छेद 13, 32 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है।

8 योजना और आर्थिक विकास

प्र. योजना आयोग की विरासत का भारत की विकास नीतियों पर अभी भी प्रभाव दिखता है। विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1950 में स्थापित योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने और केंद्रीकृत योजना के माध्यम से भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार संगठन था। 2014 में अपने विघटन तक यह भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के लिए प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता रहा।

योजना आयोग की विरासत

- आयोग की विरासत ने भारत की विकास रणनीतियों को कई महत्वपूर्ण तरीकों से आकार देने का कार्य किया है। जैसा कि अर्थशास्त्री **मोंटेक सिंह अहलूवालिया** कहते हैं, शुरू में इसने दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की प्रथा की शुरुआत की। नीति आयोग, जो योजना आयोग का उत्तराधिकारी बना, अपनी त्रैवार्षिक कार्य योजनाओं और सप्तवर्षीय रणनीतिक पत्रों के माध्यम से इस पद्धति को कायम रखता है।
- आयोग का ध्यान भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे में **सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश** पर केंद्रित था, जिसे अर्थशास्त्री **राकेश मोहन "कमांडिंग हाइट्स" दृष्टिकोण** कहते हैं। यह दृष्टिकोण सरकार की नीतियों को प्रभावित करता रहा है, जैसा कि "मेक इन इंडिया" और "उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना" जैसी पहल से स्पष्ट होता है, जो राज्य-निर्देशित औद्योगिक विकास के पहलुओं को शामिल करते हैं।
- आयोग के केंद्र-राज्य समन्वय के **संस्थागत ढांचे**, विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से, आधुनिक संघीय संबंधों को प्रभावित किया है। विकास अर्थशास्त्री **जीन ड्रेज** ने यह उल्लेख किया है कि, हालांकि "सभी के लिए एक ही समाधान" (one-size-fits-all) पद्धति की आलोचना की गई है, केंद्र-राज्य विकास साझेदारी की मौलिक संरचना जीएसटी परिषद और नीति आयोग के राज्य विकास सूचकांक जैसी परियोजनाओं में बनी हुई है।
- योजना आयोग की नीति निर्माण में **अनुभवजन्य (empirical) पद्धति** का स्थायी प्रभाव पड़ा है। आर्थिक और सामाजिक योजना अनुसंधान संस्थान के अनुसार, वर्तमान में 70% से अधिक सरकारी कार्यक्रमों में आयोग द्वारा स्थापित मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।
- योजना आयोग को समाप्त करना भारत की **बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया** थी, लेकिन इसकी संस्थागत स्मृति और योजना ढांचा अब भी विकास रणनीतियों को आकार देने में योगदान देता है। केंद्रीकृत योजना से सुझावात्मक योजना (suggestive planning) में परिवर्तन भारत की विकास रणनीति में प्रगति और स्थिरता दोनों को दर्शाता है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि योजना आयोग ने देश की विकास यात्रा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है।

प्र. ग्राम स्वराज की रूप रेखा, नियोजन पर गाँधीवादी दृष्टिकोण को समझने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: ग्राम स्वराज या ग्राम स्वशासन, गांधी की **विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिनिधित्व** करता है, जिसमें प्रत्येक गांव स्वायत्त, आत्मनिर्भर होगा और एक सूक्ष्म गणराज्य के रूप में काम करेगा। यह दर्शन, जिसका विवरण उनकी रचना **"हिंद स्वराज"** में दिया गया है, भारत की विकास योजना और आर्थिक संरचना के लिए उनकी रणनीति का आधार बना।

नियोजन पर गांधीजी का दृष्टिकोण

- गांधी जी की रणनीतिक दृष्टि, जो ग्राम स्वराज पर केंद्रित थी, ने कई मूलभूत घटकों को उजागर किया। प्रारंभ में, गांधी जी के निकट सहयोगी और अर्थशास्त्री **जे.सी. कुमारप्पा** के अनुसार, इस दृष्टिकोण ने **कुटीर उद्योगों और स्थानीय निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकेंद्रीकरण** की वकालत की। गांधी जी ने "जन-उत्पादन" (production by masses) पर जोर दिया, न कि "सामूहिक उत्पादन" (mass production) पर, जिससे व्यापक रोजगार और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- विद्वान **रामाश्रय रॉय** का दावा है कि गांधी की **योजना रणनीति** ने "रचनात्मक कार्यक्रम" की अपनी अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण पर जोर दिया। इसमें खादी, ग्रामीण उद्योग, बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) और स्वच्छता को बढ़ावा देना शामिल था, जिसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनाना था। सेवाग्राम प्रयोग (1936) ने व्यवहार में इस पद्धति का उदाहरण दिया।
- नियोजन दृष्टिकोण ने **पारिस्थितिकी स्थिरता** को विश्वव्यापी मुद्दे के रूप में उभरने से बहुत पहले ही प्राथमिकता दे दी थी। पर्यावरणविद् **माधव गाडगिल** का मानना है कि स्थानीय संसाधन प्रबंधन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के गांधी के प्रयास पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास सिद्धांतों पर आधारित थे।

9 भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं नृजातीयता

प्र. "सापेक्षिक वंचना नृजातीय संघर्ष का एक मुख्य स्रोत है।" उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन को विस्तार से समझाइए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भारतीय राजनीति में जातीयता का संबंध राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समान सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान से एकजुट समूहों की लामबंदी से है। ये पहचानें विशेष रूप से तब प्रमुख हो जाती हैं जब समूह अन्य समुदायों की तुलना में अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को पहचानते हैं।

सापेक्षिक वंचना और जातीय संघर्ष

- **टेड रॉबर्ट गुर के** सापेक्ष वंचना के सिद्धांत के अनुसार जातीय संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब समुदाय अपनी मूल्य आकांक्षाओं और मूल्य क्षमताओं के बीच असमानता को पहचानते हैं। भारत में, यह अंतर-समूह तुलना के कई पहलुओं से स्पष्ट है।
- राजनीतिक विश्लेषक **पॉल ब्रास** का मानना है कि पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्ष मुख्य रूप से कथित आर्थिक असमानताओं के कारण हैं। विकास में हाशिए पर होने की भावना और जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर आशंकाओं ने असम में बोडो आंदोलन जैसे विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की स्थापना** दर्शाती है कि सापेक्षिक अभाव किस तरह स्वशासन की आकांक्षाओं को बढ़ावा देता है।
- समाजशास्त्री **दीपांकर गुप्ता** बताते हैं कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक अवसरों की प्रतिस्पर्धा में सापेक्ष वंचना की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। आरक्षण लाभ के लिए हरियाणा में जाट आंदोलन (2016) और महाराष्ट्र में मराठा प्रदर्शन (2018) यह दर्शाते हैं कि आर्थिक रूप से प्रभावशाली लेकिन राजनीतिक रूप से असुरक्षित समूह कथित सापेक्ष नुकसान के जवाब में कैसे लामबंद होते हैं।
- **भाषा आधारित सापेक्ष वंचना** एक उल्लेखनीय कारक रहा है। **डीएल शेठ** का मानना है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा तक पहुँच में कथित भेदभाव ने राज्यों के भाषाई पुनर्गठन को प्रेरित किया और अलग तेलंगाना जैसी मांगों को आकार देना जारी रखा, जिसे 2014 में साकार किया गया।
- आर्थिक उदारीकरण ने कुछ परिस्थितियों में सापेक्ष अभाव को और बढ़ा दिया है। मानवविज्ञानी **नंदिनी सुंदर** का तर्क है कि तेजी से प्रगति कर रहे स्थानों या समुदायों के साथ अपनी परिस्थितियों को जोड़ने वाले समूहों को अक्सर अभाव की तीव्र अनुभूति का सामना करना पड़ता है। गुजरात में **पाटीदारों का विरोध** पारंपरिक कृषि आबादी की भावना का उदाहरण है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपेक्षा महसूस करती है।
- धार्मिक अल्पसंख्यकों में सापेक्षिक वंचना की भावना अंतर-समुदायिक संबंधों को प्रभावित करती है। विद्वान **जोया हसन** इस बात पर जोर देती हैं कि कई क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और प्रतिनिधित्व में विसंगतियों के कारण अल्पसंख्यक अलगाव और छिटपुट संघर्ष होते हैं।

भारत में सापेक्ष वंचना जातीय लामबंदी को संचालित करती रहती है, जो पहचान, प्रतिनिधित्व, और संसाधनों की आकांक्षाओं को प्रभावित करती है। इन तनावों को समझना आवश्यक है, ताकि जातीय संघर्षों को कम किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके, जो अंतर-समूह असमानताओं को घटा सके।

प्र. जातिगत राजनीति के उदय का श्रेय क्षेत्रीय आकांक्षाओं और चुनावी अभिव्यक्तियों-दोनों को दिया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जातियां जो भूमिका निभाती हैं, उसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया था, जहां सरकार के भीतर उच्च जाति के प्रभुत्व को कायम और मजबूत किया गया, हालांकि शैक्षणिक सशक्तीकरण के माध्यम से इस विसंगति को दूर करने के प्रयास किये गए। इससे 1990 के दशक तक यथास्थिति बनी रही।

- भारत में आर्थिक उदारीकरण ने राज्य के नियंत्रण को कम कर दिया और जाति-केंद्रित पार्टियों के उदय को बढ़ावा दिया। निचली जातियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- रजनी कोठारी के अनुसार, भारत में जाति के राजनीतिकरण ने दलीय राजनीति को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साबित किया कि जाति का राजनीतिकरण किस प्रकार दोहरी प्रक्रिया है।
- जातिगत राजनीति का कारण क्षेत्रीय आकांक्षा भी है, क्योंकि भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता विभिन्न जाति समुदायों को अभिव्यक्त करती है, जिसकी वास्तविक अभिव्यक्ति हमें चुनाव के दौरान दिखाई देती है।
- जिस क्षेत्र में जिस जाति का वर्चस्व है उस क्षेत्र में उस जाति के हिसाब से ही विभिन्न पार्टियों द्वारा समीकरण तय किए जाते हैं और लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण होता है।
- भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और चुनावी लामबंदी के साथ जाति का गहरा संबंध है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की अपने मामलों में अधिक हिस्सेदारी रखने और अपने संसाधनों को नियंत्रित करने की इच्छा होती हैं, अक्सर जाति-आधारित राजनीतिक दलों के गठन का कारण बनती हैं।

10

दल प्रणाली

प्र. सरकार की निर्णयन प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका का आलोचनात्मक आकलन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: दबाव समूह संगठित समूह होते हैं जिनका उद्देश्य चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। व्यावसायिक संघों, ट्रेड यूनियनों, पर्यावरण संगठनों और पेशेवर निकायों सहित ये संस्थाएं विविध वकालत और लॉबिंग प्रयासों के माध्यम से सार्वजनिक नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका

- सरकारी निर्णय लेने पर दबाव समूहों का प्रभाव महत्वपूर्ण है। राजनीतिक वैज्ञानिक **डेविड ट्रूमैन** का तर्क है कि वे **नागरिकों और सरकार के बीच आवश्यक बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं,** विशेष हितों को व्यक्त करते हैं जिन्हें अन्यथा उपेक्षित किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान भारतीय चिकित्सा संघ की पैरवी ने स्वास्थ्य सेवा कानून और टीकाकरण वितरण प्रणालियों को प्रभावित किया।
- ये संगठन विधि निर्माताओं को महत्वपूर्ण विशेषज्ञता भी प्रदान करते हैं। विद्वान **रजनी कोठारी** का मानना है कि **फिक्की और एसोचौम** जैसे संगठन लगातार **व्यापक नीतिगत दस्तावेज** और शोध प्रदान करते हैं जो सरकारी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हाल ही में श्रम संहिता संशोधनों में उद्योग संगठनों और ट्रेड यूनियनों दोनों का पर्याप्त योगदान शामिल था।
- फिर भी, दबाव समूह कभी-कभी **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विकृत कर सकते हैं।** राजनीतिक विद्वान **मैनकर ओल्सन** "सामूहिक कार्रवाई के तर्क" के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जिसमें अच्छी तरह से संगठित अल्पसंख्यक हित व्यापक सार्वजनिक कल्याण को पीछे छोड़ सकते हैं। कृषि सुधारों के खिलाफ हाल ही में किसानों के प्रदर्शनों ने प्रभावशाली कृषि लॉबी की सरकार की पहलों का प्रभावी ढंग से विरोध करने की क्षमता को दर्शाया, हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया कि इससे आवश्यक आधुनिकीकरण स्थगित हो सकता है।
- एक और आलोचना उनके असंगत चित्रण से संबंधित है। विद्वान **गेब्रियल आलमंड** का दावा है कि आर्थिक रूप से प्रभावशाली समूह अक्सर असंगत प्रभाव डालते हैं। भारत में दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित नीतिगत विकल्पों पर कॉर्पोरेट लॉबी के प्रभाव ने नीति-निर्माण में समानता पर चिंताएं पैदा की हैं।
- इंटरनेट युग ने दबाव समूहों की गतिशीलता में क्रांति ला दी है। पर्यावरण अभियानकर्ताओं जैसे संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पहलों ने बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के बारे में निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रभावित किया है। संशोधन के लिए **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को हाल ही में वापस लेना आंशिक रूप से डिजिटल अधिकार संगठनों और उद्योग प्रतिभागियों** के चल रहे दबाव के कारण था।
- पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। कई पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत, भारत में लॉबिंग पर व्यापक प्रतिबंध नहीं हैं, जिससे नीतिगत निर्णयों पर दबाव समूह के प्रभावों की निगरानी जटिल हो जाती है। राजनीतिक वैज्ञानिक **प्रताप भानु मेहता के अनुसार,** यह अस्पष्टता लोकतांत्रिक जवाबदेही से समझौता कर सकती है।
- लोकतांत्रिक शासन में दबाव समूह महत्वपूर्ण हितधारक हैं, जो विशेषज्ञता प्रदान करते हैं और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, उनके कार्य को पारदर्शिता और न्यायसंगत पहुंच के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को कमजोर करने के बजाय उसे बढ़ावा दें।

प्र. 1989-1999 के दशक ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दलीय प्रणाली में युगान्तरकारी परिवर्तन किए हैं। इस दौर की दलीय प्रणाली में निहित मुख्य राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को चिह्नित कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: भारतीय राजनीति में 1990 का दशक उथल-पुथल से भरा हुआ रहा। सोवियत संघ के विघटन ने भारतीय राजनीति में समाजवादी विचार को चुनौती दी। इसी दौर में मंडल, मंदिर और मार्केट की राजनीति भी आई।

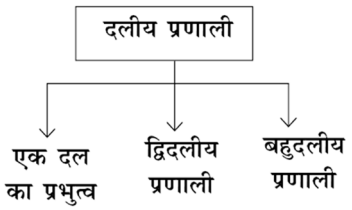

- भारतीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अगस्त 1990 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिशों को लागू कर दिया तो वहीं संघ परिवार राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर पूरे भारत की राजनीतिक अबोहवा को प्रभावित कर रहा था, जिसकी परिणति बाबरी मस्जिद के विध्वंश के रूप में हुई।

11 सामाजिक आंदोलन

प्र. "अरक (शराब) विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका" पर टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन में स्थानीय शराब की बिक्री के खिलाफ आजादी के बाद के भारत में महिलाओं द्वारा जमीनी स्तर पर भागीदारी शामिल थी। यह भारतीय महिलाओं की सक्रियता में एक महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाता है, जो प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी के लिए उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

महिलाओं की भूमिका

- **कांचा इलैया** के अनुसार, यह अभियान दुबागुंटा गांव में तब शुरू हुआ जब साक्षरता पहल से प्राप्त शराब विरोधी संदेश से प्रेरित होकर महिलाएं स्थानीय स्तर पर शराब की बिक्री के खिलाफ लामबंद होने लगीं।
- सामाजिक इतिहासकार **अर्चना प्रसाद** का मानना है कि महिलाओं की भागीदारी घरेलू दुर्व्यवहार, वित्तीय विपत्ति और पुरुषों के नशे के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन से प्रेरित थी।
- इस आंदोलन में **महिलाओं का अद्वितीय नेतृत्व और संगठन देखने को मिला,** जिसमें महिलाओं ने विभिन्न विरोध रणनीति अपनाई, जैसे **शराब की दुकानों पर धरना देना, शराब के कंटेनरों को नष्ट करना और धरना देना।**
- समाजशास्त्री **कैरोल उपाध्याय के शोध में महिलाओं के स्वयं सहायता संगठनों** और साक्षरता मंडलियों के महत्व को रेखांकित किया गया है, जो **लामबंदी के लिए महत्वपूर्ण मंच** हैं। आंदोलन की ताकत इसकी विकेन्द्रीकृत संरचना में निहित थी, जिसने स्थानीय महिलाओं को गांवों में एकता बनाए रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया।
- नारीवादी विद्वान **सूसी थारू ने** इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस आंदोलन ने पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती दी, क्योंकि महिलाएं घरेलू माहौल से निकलकर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गईं। उनकी पहल ने न केवल शराब के उपयोग को संबोधित किया, बल्कि पितृसत्तात्मक सत्ता संरचनाओं को भी चुनौती दी।
- इस आंदोलन को प्रगतिशील संगठनों और मीडिया, विशेष रूप से **आंध्र प्रदेश महिला संघम** से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे महिलाओं की आवाज को बुलंद करने में मदद मिली।

इस प्रकार, यह आंदोलन केवल शराब निषेध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली एजेंट के रूप में सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। आंदोलन का प्रभाव महिलाओं के अन्य आंदोलनों को प्रेरित करता है और यह दिखाता है कि जमीनी स्तर की सक्रियता राज्य की नीतियों और सामाजिक परंपराओं को प्रभावी रूप से चुनौती दे सकती है। यह अनुभव महिला नेतृत्व वाले सामाजिक आंदोलनों की क्षमता को उजागर करता है, जो सामुदायिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और नीतिगत बदलाव ला सकते हैं।

प्र. भारत में पर्यावरण शासन को आकार देने में पर्यावरणीय आंदोलनों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भारत में पर्यावरण आंदोलन समुदायों, कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाते हैं। इन जमीनी स्तर की गतिविधियों ने आजादी के बाद से पर्यावरण नीति निर्माण और शासन संरचनाओं को गहराई से प्रभावित किया है।

पर्यावरणीय शासन को आकार देने वाले पर्यावरणीय आंदोलन

- चिपको आंदोलन भारत के पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहासकार **रामचंद्र गुहा** का मानना है कि इस आंदोलन ने न केवल हिमालय में हजारों पेड़ों को संरक्षित किया, बल्कि **1980 के वन संरक्षण अधिनियम के परिणामस्वरूप** वन प्रबंधन नियमों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ।
- **साइलेंट वैली आंदोलन** ने वैज्ञानिक ज्ञान और नागरिक भागीदारी की प्रभावकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। **माधव गाडगिल** कहते हैं कि इस अभियान ने विकास पहलों में **पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)** के लिए एक मिसाल कायम की और 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को आकार दिया।
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन** ने पुनर्वास नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। विद्वान अरुंधति रॉय के अध्ययन से पता चलता है कि कैसे इसने विस्थापन मुआवजा मानकों में संशोधन की आवश्यकता पैदा की और बड़े बांधों के लिए व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अधिदेशों को लागू किया।
- हाल के घटनाक्रमों ने आधुनिक पर्यावरण शासन को प्रभावित किया है। मुंबई में **आरे बचाओ आंदोलन (2019) ने शहरी वन संरक्षण नियमों** को प्रभावित किया। **पर्यावरण वकील रित्विक दत्ता ने** पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित अधिक कड़े प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में इसके योगदान पर प्रकाश डाला।
- पर्यावरण आंदोलनों ने **न्यायिक सक्रियता को काफी प्रभावित किया है।** भारतीय न्यायपालिका का पर्यावरण रक्षक के रूप में उभरना, **जनहित याचिका (पीआईएल)** तंत्र और हरित न्यायाधिकरणों के निर्माण द्वारा सुगम बनाया जाना, काफी हद तक कार्यकर्ताओं के प्रभाव का परिणाम है।

द्वितीय प्रश्न पत्र

तुलनात्मक राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध

1 तुलनात्मक राजनीति

प्र. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: तुलनात्मक राजनीति में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणालियों के भीतर उपस्थित व्यक्तियों के अर्थों और अनुभवों की व्याख्या करके राजनीतिक घटनाओं को समझने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक व्यवहार और संस्थाएं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होती हैं।

- व्याख्यात्मक दृष्टिकोण में कई मौलिक तत्व शामिल हैं। यह प्राय: गुणात्मक शोध विधियों, जैसे साक्षात्कार, नृवंशविज्ञान, और पाठ विश्लेषण का उपयोग करता है, ताकि राजनीतिक जीवन के गहन दृष्टिकोण प्राप्त किए जा सकें।
- यह दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं को सार्वभौमिक सिद्धांतों के बजाय उनके विशेष सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में समझने का प्रयास करता है। यह राजनीतिक अर्थों, प्रतीकों, और कथाओं के राजनीतिक व्यवहार और संस्थानों पर प्रभाव का विश्लेषण करता है।
- **रॉड रोड्स** के अनुसार, यह दृष्टिकोण राजनीतिक अनुभवों की व्यक्तिपरक प्रकृति और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के महत्व को पहचानता है। **कॉलिन हे और कीथ डाउडिंग** के अनुसार, यह दृष्टिकोण राजनीति के व्यक्तिपरक और संदर्भात्मक तत्वों पर जोर देते हुए राजनीतिक प्रणालियों और व्यवहारों का व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- हालांकि, तुलनात्मक राजनीति में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह कुछ सीमाओं से मुक्त नहीं है। यह मुख्यत: शोधकर्ताओं की व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर निर्भर करता है, जो पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्षों का कारण बन सकती हैं। इसके निष्कर्ष अक्सर संदर्भ और संस्कृति-विशिष्ट होते हैं, जिससे सामान्यीकरण करना कठिन हो सकता है।
- इसके अलावा, इस दृष्टिकोण में उपयोग की जाने वाली गुणात्मक विधियों को पुन:प्रस्तुत करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे विशिष्ट अंत:क्रियाओं और व्याख्याओं पर आधारित होती हैं।

यह दृष्टिकोण अक्सर व्यापक और जटिल विश्लेषण की माँग करता है, जो समय लेने वाला हो सकता है और जिसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही, मात्रात्मक विधियों की तुलना में, यह दृष्टिकोण भविष्य की राजनीतिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में उतना प्रभावी नहीं हो सकता।

प्र. तुलनात्मक राजनीति में अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के कौन-से महत्त्वपूर्ण कार्य हैं?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: तुलनात्मक राजनीति में अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए एक वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में उभरा। अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है, जो राजनीतिक घटनाओं के व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अवलोकन पर केंद्रित है।

- तुलनात्मक राजनीति में अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रणालियों, व्यवहारों और संस्थानों को समझने और उनका विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो राजनीतिक घटनाओं की गहरी समझ में योगदान देता है।

तुलनात्मक राजनीति में अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण कार्य

(i) **सिद्धांत विकास:** अनुभवजन्य अनुसंधान नए राजनीतिक सिद्धांतों और मॉडलों के विकास में योगदान देता है।

(ii) **नीति विश्लेषण और मूल्यांकन:** अनुभवजन्य अनुसंधान विभिन्न देशों में नीतियों और सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए कई आधार प्रदान करता है।

(iii) **राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक विषय बनाना:** इस सिद्धांत का मुख्य कार्य राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय बनाना था। इसने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में मात्रात्मक तकनीक को शामिल करके राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया।

(iv) **राजनीतिक व्यवहार को समझना:** अनुभवजन्य अध्ययन मतदान पैटर्न, भागीदारी दर और राजनीतिक प्राथमिकताओं जैसे राजनीतिक व्यवहारों का पता लगाते हैं।

(v) **संस्थागत विश्लेषण:** अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राजनीतिक संस्थानों के कामकाज और प्रभाव की जांच करता है।

2 तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य

प्र. उन्नत पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर-आधुनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, उत्तर-आधुनिक राज्य वे राज्य हैं जो नवउदारवादी नीतियों, बाजार-उन्मुख शासन और विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक मामलों की देखरेख के लिए अंतरराष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों जैसी गैर-राज्य संस्थाओं के साथ साझेदारी करता है। ये राज्य वैश्वीकरण की समस्याओं का समाधान करते है और तेजी से हो रहे आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के बीच सामाजिक सामंजस्य बनाए रखता है।

उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर-आधुनिक राज्यों की विशेषताएं

- उन्नत पूंजीवादी देशों में उत्तर-आधुनिक राज्य कई विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। **विकेंद्रीकरण और निजीकरण** इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। राल्फ मिलिबैंड जैसे लेखकों का मानना है कि राज्य ने कई कार्य निजी कंपनियों को सौंप दिए हैं, जो बाजार-उन्मुख लोकतंत्र की ओर संक्रमण का संकेत देते हैं।
- **पोलांटजास** ने राज्य की बहुराष्ट्रीय कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी पर जोर दिया है। उन्होंने इस अंतर्संबंधित शासन मॉडल को उत्तर-आधुनिक राज्य की एक परिभाषित विशेषता बताया है। उत्तर-आधुनिक राज्य वैश्वीकरण की समस्याओं को हल करता है, जहां राष्ट्रीय हितों और वैश्विक आर्थिक एकीकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- यह सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से तीव्र आर्थिक परिवर्तनों के दौरान। प्रौद्योगिकी में सुधार ने वैश्विक बाजारों को आपस में जोड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्तर-आधुनिक राज्य की भूमिका को रेखांकित किया गया है।
- उत्तर-आधुनिक राज्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्षों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आर्थिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के बीच सामाजिक एकता सुनिश्चित होती है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में उत्तर-आधुनिक राज्य की यह विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर-आधुनिक राज्यों की सीमाएं

- **राल्फ मिलिबैंड** जैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि पूंजीवादी अभिजात वर्ग के साथ राज्य का मजबूत संबंध इस असमानता को बढ़ाता है, अक्सर ऐसी नीतियों का पक्ष लेता है जो अमीरों को लाभ पहुंचाती हैं और जिसके परिणामस्वरूप धन का अंतर बढ़ता है।
- **पौलंटजस** का कहना है कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता कम होती जा रही है, क्योंकि वह वैश्विक पूंजी के साथ अधिकाधिक उलझता जा रहा है, जिससे स्वायत्त नीतियों को लागू करने की उसकी क्षमता सीमित होती जा रही है, जो कि मौजूदा आर्थिक अभिजात वर्ग के हितों के विपरीत हो सकती हैं।
- **अर्नेस्टो लाक्लाऊ** ने जोर देकर कहा कि सामाजिक संघर्षों में मध्यस्थता करने में राज्य का कार्य सामाजिक विखंडन का कारण बन सकता है, तथा इस बात पर बल दिया कि बाजार-उन्मुख नीतियां सामाजिक एकजुटता को कमजोर करती हैं और सामाजिक मतभेदों को बढ़ाती हैं।
- वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है, क्योंकि राज्य की बाजार तंत्र पर निर्भरता अक्सर पर्यावरणीय मुद्दों को नजरअंदाज कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप असंवहनीय प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
- इसके अलावा, तकनीकी विकास, हालांकि लाभकारी है, लेकिन इससे रोजगार में कमी और सामाजिक अव्यवस्था हो सकती है, तथा राज्य द्वारा इन परिवर्तनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में विफलता से आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।

इस प्रकार, उत्तर-आधुनिक राज्य ऐसे निकायों के रूप में विकसित हुए हैं जो आवश्यक होने पर घरेलू घटकों, जैसे रोजगार, स्वतंत्रता और पर्यावरणीय क्षति को प्रभावित करने वाले विषयों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करके आधुनिकीकरण से उत्पन्न मुद्दों का समाधान प्रदान करते हैं।

प्र. एक राजनीतिक सिद्धांतकार को राज्यों की तुलना करने में किन कठिनाइयों का समाना करना पड़ता है?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: राज्यों में अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रासंगिक कारक होते हैं, जो उनकी राजनीतिक प्रणालियों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इन विविधताओं के कारण सभी राज्यों पर लागू होने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों को विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है।

- पूंजीवादी, समाजवादी, उन्नत औद्योगिक और विकासशील जैसे विभिन्न प्रकार के राज्यों की तुलना करना, राजनीतिक सिद्धांतकारों के लिए जटिल चुनौतियां खड़ी करता है। सबसे बड़ी चुनौती राज्यों को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने में है।

3 राजनैतिक प्रतिनिधान एवं सहभागिता

प्र. विकासशील समाजों में लोकतन्त्र के पोषण एवं स्थायीकरण में राजनीतिक दलों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: राजनीतिक दल संगठित समूह होते हैं, जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचारधाराओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों को साझा करते हैं और चुनावी प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके सार्वजनिक नीतियों और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये दल समाज के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने, राजनीतिक बहस को संरचित करने, मतदाताओं को संगठित करने और सामूहिक कार्रवाई का माध्यम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लोकतंत्र को स्थिर करने में भूमिका

- राजनीतिक दल विकासशील देशों में लोकतंत्र को बनाए रखने और स्थिर करने के लिए राजनीतिक जवाबदेही, बहुलवाद और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं। वे नागरिकों और सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाते हैं, जनता की मांगों को व्यक्त करते हैं और उन्हें कार्यान्वयन योग्य नीतियों में बदलते हैं।
- भारत में राजनीतिक दल देश के विभिन्न जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को शामिल करते हैं, जिससे उन्हें प्रशासन में प्रतिनिधित्व और भागीदारी की गारंटी मिलती है। यह समावेशिता विश्वसनीयता और स्थिरता को बढ़ावा देती है।
- **क्रिस्टोफ जैफरलॉट** जैसे शिक्षाविदों ने इस बात पर जोर दिया है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
- सुसान स्कैरो ने दलों के भीतर लोकतंत्र (इंट्रा-पार्टी डेमोक्रेसी) के महत्व को रेखांकित किया है, जिसमें दलों के भीतर नियमित चुनाव और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल है।
- यह आंतरिक लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल जनता की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बने रहें।
- इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल सार्वजनिक विमर्श और नीति निर्माण को सुगम बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोणों को मान्यता मिले। वे सरकार की नीतियों की आलोचना करने, जांच और संतुलन बनाए रखने, और चुनावों और वार्ताओं के माध्यम से शांतिपूर्ण विवाद समाधान को बढ़ावा देने में भी योगदान करते हैं।

राजनीतिक दल और लोकतंत्र की अस्थिरता

- कई शिक्षाविदों का मानना है कि राजनीतिक दल कई तरीकों से उभरते राष्ट्र लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। **टॉम गेराल्ड डेली और ब्रायन क्रिस्टोफर जोन्स के अनुसार,** सत्तावादी राजनीतिक दल सत्ता को केंद्रीकृत करके और नियंत्रण और संतुलन को कम करके लोकतंत्र को नष्ट कर सकते हैं।
- हंगरी में फिडेज सरकार की मीडिया और न्यायिक स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए आलोचना की गई है। डॉ. सविता पांडे विश्लेषण करती हैं कि विकासशील देशों में राजनीतिक दल किस तरह अनैतिक व्यवहार और संरक्षण में लगे हुए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नाइजीरिया में व्यापक भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों की चोरी से जुड़ी है।
- **ईश्वरन श्रीधरन ने** राजनीतिक दलों की जातीय और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की क्षमता पर प्रकाश डाला है, जिससे सामाजिक विभाजन और रक्तपात होता है। भारत में कुछ राजनीतिक दलों के उदय ने सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ाया है और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेल दिया है । ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़कर, भ्रष्ट करके और समाज को विभाजित करके लोकतंत्र को अस्थिर कर सकते हैं।

एक वास्तविक लोकतंत्र में, जहां समाज जागरूक और शिक्षित हो, राजनीतिक दल समावेशिता, जवाबदेही, और प्रभावी शासन को बढ़ावा देकर विकासशील देशों में लोकतंत्र की स्थिरता और स्थायित्व को मजबूत करते हैं। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने और राजनीतिक भागीदारी को सक्षम बनाने में उनकी भूमिका लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्र. लोकतांत्रिक राजनीति नागरिकता का निर्माण कैसे करती है? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: लोकतंत्र और उनके केंद्र में खड़े नागरिक राजनीति के माध्यम से बनते ओर कायम रहते हैं। सरकारी नीतियां इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण तभी हो सकता है, जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो और सामूहिक समस्याओं में निरंतर अभिरुचि ले।

- "ए थ्योरी ऑफ जस्टिस" में वर्णित जॉन रॉल्स का उदारवादी मॉडल सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता है। इस मॉडल में नागरिकता की कल्पना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे मतदान इत्यादि में भागीदारी के माध्यम से स्वायत्तता के अभ्यास के रूप में की जाती है।

4

भूमंडलीकरण

प्र. "विवैश्वीकरण वैश्वीकरण को विस्थापित कर रहा है।" टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: वैश्वीकरण राष्ट्रों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते एकीकरण और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया है, जो प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार में प्रगति से प्रेरित है।

- यह प्रक्रिया सीमाओं के पार विचारों, वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वैश्विक स्तर पर जुड़ाव और बातचीत बढ़ती है।
- वि-वैश्वीकरण में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं का संकुचन शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, नीतियों और पहचानों का पुनरुद्धार होता है।
- वि-वैश्वीकरण कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे आर्थिक संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद की ओर राजनीतिक परिवर्तन और स्थानीयता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले सामाजिक आंदोलन।

विवैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक

- विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद, विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों में विवैश्वीकरण तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है।
- नौकरी के छिनने और बढ़ती असमानता की आशंकाओं से प्रेरित होकर, देश घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ और कोटा जैसी संरक्षणवादी नीतियों को लागू कर रहे हैं।
- कंपनियां विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए विनिर्माण और आपूर्ति शृंखलाओं को पुनः स्थापित और निकटवर्ती बना रही हैं, महामारी और भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण यह प्रवृत्ति और भी तीव्र हो गई है।
- आर्थिक राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण यूएस चिप्स (CHIPS) और विज्ञान अधिनियम और यूरोपीय चिप्स अधिनियम जैसी पहलों से मिलता है, जो आवश्यक प्रौद्योगिकियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
- लोकलुभावन नेताओं के उभरने से वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि वे ऐसी नीतियों को बढ़ावा देते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ऊपर राष्ट्रीय हितों पर जोर देती हैं।
- अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष और यूक्रेन में रूस की घुसपैठ सहित भू-राजनीतिक संघर्षों ने विवैश्वीकरण को और बढ़ा दिया है। कुछ राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों से पीछे हट रहे हैं या उन पर फिर से बातचीत कर रहे हैं, जो अधिक अलगाववादी आर्थिक नीतियों की ओर संक्रमण का संकेत है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं सरकारों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को संभावित खतरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन को स्थानीय बनाने की पहल की जा रही है।
- भू-राजनीतिक विवादों की प्रतिक्रिया में निर्यात निषेध और व्यापार प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वैश्विक निर्भरता से जुड़े खतरों को कम करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों की स्थापना की दिशा में एक आंदोलन उभर रहा है।
- राष्ट्रीय पहचान की सुरक्षा पर ध्यान बढ़ रहा है और वैश्वीकरण के प्रति संदेह बढ़ रहा है, जो नौकरी छूटने और सांस्कृतिक गिरावट की आशंकाओं से प्रेरित है। स्थानीय उत्पादों और सेवाओं में रुचि बढ़ रही है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और लंबी दूरी के व्यापार के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- विवैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त तत्व हैं पर्यावरणीय मुद्दे, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक व्यापार में कमी की वकालत करते हैं, तथा स्वचालन और डिजिटलीकरण सहित तकनीकी प्रगति, जो वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क को बदल रही है।
- विभूमंडलीकरण के पक्ष में तर्कों के बावजूद, कई रुझान संकेत देते हैं कि वैश्वीकरण भी मजबूत बना हुआ है। डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स व्यापार, पूंजी, सूचना और लोगों के लचीले अंतरराष्ट्रीय प्रवाह को दर्शाता है।
- कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यापार की मात्रा में उछाल आया है। परस्पर जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता, जलवायु परिवर्तन पर चल रहे सहयोग (जैसे, पेरिस समझौता), और तकनीकी प्रगति वैश्विक बाजारों को एकीकृत करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी है।

हालाँकि, कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करना पड़ा। ये तत्व सामूहिक रूप से वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण की ओर परिवर्तित होती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं क्योंकि राष्ट्र और निगम अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

5 अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम

प्र. अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। इस दृष्टिकोण की समसामयिक प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति राजनीति और राष्ट्रीय हितों से अधिक सहयोग, नैतिकता, और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को प्राथमिकता देता है। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय मामलों को नैतिक मानकों के आधार पर संचालित करने और सामूहिक कल्याण की दिशा में प्रयास करने पर जोर देता है। आदर्शवाद राज्यों से परस्पर निर्भरता, संस्थाओं, और लोकतंत्र को महत्व देने की अपील करता है।

- आदर्शवादी अंतरराष्ट्रीय संगठनों और कानूनी ढांचों के निर्माण और उन्नयन की वकालत करते हैं ताकि शांति और स्थिरता को बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, आदर्शवाद यह विश्वास करता है कि एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समान वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है।
- आदर्शवाद कई विद्वानों और व्यक्तित्वों के बौद्धिक कार्य का परिणाम है। दार्शनिक **इमैनुअल कांट** ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और गणतंत्रात्मक संविधानों के माध्यम से "सदाबहार शांति" का विचार प्रस्तुत किया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति **वुडरो विल्सन** ने राष्ट्र संघ की वकालत की और अपने चौदह सूत्रीय लेखों में शांति के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
- ब्रिटिश इतिहासकार **सर अल्फ्रेड जिमर्न** ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया। **नॉर्मन एंजेल्ल** ने तर्क दिया कि आर्थिक अंतरनिर्भरता युद्ध को लाभहीन और अवांछनीय बना देगी।
- आदर्शवादी दृष्टिकोण समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विशेष रूप से वैश्विक सहयोग और शांति को बढ़ावा देने में प्रासंगिक बना हुआ है।

इसका एक प्रमुख उदाहरण संयुक्त राष्ट्र (UN) है, जो सामूहिक सुरक्षा, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) आदर्शवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हुए वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का कार्य करती है। आदर्शवाद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करता है, जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में देखा गया है, जहां देश जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सहयोग करते हैं।
- आदर्शवाद शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान का समर्थन करता है, जहां कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून का उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) है, जो राज्यों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में भी आदर्शवादी सिद्धांत स्पष्ट हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा महामारी से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास। आदर्शवाद आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के माध्यम से देखा जा सकता है, जो सतत विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और असमानताओं को कम करने पर कार्य करता है। अंत में, आदर्शवादी दृष्टिकोण की आधुनिक प्रासंगिकता लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत में देखी जा सकती है, जो यह मानता है कि लोकतांत्रिक देशों के बीच एक-दूसरे के साथ युद्ध की संभावना कम होती हैं।

प्र. अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण किस प्रकार से वैश्विक राजनीति में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता को उत्पन्न करने में मुख्य रूप से तकनीकी प्रकृति के विशिष्ट मुद्दों या समस्याओं के महत्व पर जोर देता है।

- प्रकार्यवादी सिद्धांत के जन्मदाता 'डेविड मिट्रनी' है। इनकी रचना "ए वर्किंग पीस सिस्टम" (1943) है। इनके अनुसार, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के द्वारा राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। ये राजनीतिक, तकनीकी तथा आर्थिक क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं। इनके अनुसार, एक क्षेत्र में किया गया सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक है, जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव कहा जाता है।
- इनके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि राज्य परस्पर अविश्वास करते हैं व एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अत: प्रकार्यवादियों ने यथार्थवादियों की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया।
- इनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में आरंभ सहयोग अंतत: राजनीतिक सहयोग बढ़ाने में सहायक होता है। ये क्रमिक (Piecemeal) सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इनके अनुसार, आर्थिक सहयोग के लिए शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए तथा उदारवादी आर्थिक प्रणाली एवं संवैधानिक शासन आवश्यक है।

6 अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं

प्र. विश्व-व्यवस्था सिद्धांत के केंद्रीय तत्वों की व्याख्या कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: विश्व प्रणाली सिद्धांत (WST), जिसे इमैनुएल वालरस्टीन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम: कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन्स ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द सिक्सटींथ सेंचुरी (1974) में प्रस्तुत किया, दुनिया को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार, विकसित देश, जो वैश्विक संपत्ति और शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, कम विकसित देशों (तीसरी दुनिया) के संसाधनों और श्रम के लिए उनका शोषण करते हैं।

- सिद्धांत के केंद्रीय तत्व दुनिया को कोर, अर्ध-परिधीय और परिधीय देशों में विभाजित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अलग-अलग भूमिका निभाता है। औद्योगिक वैश्विक उत्तर से मिलकर बने कोर देश संसाधनों और श्रम के लिए तीसरी दुनिया के देशों से मिलकर बने परिधीय देशों का शोषण करते हैं, जिससे उनका प्रभुत्व और धन बना रहता है। अर्ध-परिधीय देशों में दुनिया के विकासशील देश शामिल हैं जो गरीब देशों के शोषण में वैश्विक उत्तर के साथ मिलकर काम करते हैं।
- आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं उपनिवेशीकरण जैसी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में निहित हैं और पूंजीवाद का विकास विश्व प्रणाली सिद्धांत की एक और विशेषता है।
- विश्व प्रणाली सिद्धांत वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्ध प्रकृति पर जोर देता है, जहां व्यवस्था के एक हिस्से में होने वाले बदलाव का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। यह वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था को असमानता को कायम रखने वाली और राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को प्रभावित करने वाली व्यवस्था के रूप में देखता है।
- इसके अतिरिक्त, सिद्धांत यह मानता है कि देश समय के साथ कोर, अर्ध-परिधीय और परिधीय की स्थिति के बीच आगे बढ़ सकते हैं। ये सिद्धांत वैश्विक शक्ति गतिशीलता और आर्थिक निर्भरता का विश्लेषण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

संक्षेप में, विश्व प्रणाली सिद्धांत आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं पर जोर देता है, तथा तर्क देता है कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था असमानता को कायम रखती है, तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्संबंधता पर प्रकाश डालते हुए पारंपरिक राष्ट्र-राज्य-केंद्रित विश्लेषण की आलोचना करता है।

प्र. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि यू. एस. ए. संसार में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए रणनीति के पारम्परिक उपकरण के रूप में नाटो का उपयोग करता है?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: नाटो (NATO), या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें उत्तर अमेरिका और यूरोप के 30 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य सामूहिक रक्षा (अनुच्छेद 5), संकट प्रबंधन, और सहयोगात्मक सुरक्षा (साझेदार और गैर-साझेदार देशों के साथ रणनीतिक सैन्य स्तर पर संवाद) सुनिश्चित करना है। यह मुख्य रूप से सैन्य आक्रमण के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य तरीकों से कार्य करता है।

नाटो के माध्यम से अमेरिकी आधिपत्य का बढ़ना

- नाटो के माध्यम से अमेरिकी आधिपत्य के आगे बढ़ने के पीछे कई सिद्धांत हैं। यथार्थवादी दर्शन का मानना है कि राज्य शक्ति और सुरक्षा चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य वर्चस्व को बनाए रखने और संभावित प्रतिस्पर्धियों को हतोत्साहित करने के लिए नाटो का उपयोग करता है। जॉन मियरशाइमर जैसे शिक्षाविदों का मानना है कि नाटो का विस्तार संभावित विरोधियों को रोककर अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।
- उदारवादी सिद्धांतकारों का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के माध्यम से लोकतंत्र और आर्थिक अंतरनिर्भरता को बढ़ावा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय देशों को एक सहयोगी सुरक्षा संरचना में शामिल करके स्थिरता को बढ़ावा देता है और संघर्षों को कम करता है। जी. जॉन इकेनबेरी उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में नाटो की भूमिका पर जोर देते हैं।
- सामाजिक रचनावादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में विचारों, सम्मेलनों और पहचानों के महत्व को रेखांकित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक विचारों और मानकों का प्रसार करने के लिए नाटो का उपयोग करता है, जिससे उसका वैचारिक प्रभाव मजबूत होता है। मार्था फिनमोर जैसे शिक्षाविद इस बात की जांच करते हैं कि नाटो अपने सदस्य देशों के बीच साझा मूल्यों और मानकों को कैसे बढ़ावा देता है।
- संस्थागतवादी (Institutionalists) यह तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन सहयोग को सुगम बनाते हैं और लेन-देन की लागत को कम करते हैं। अमेरिका नाटो का उपयोग सामूहिक रक्षा पहलों को समन्वित करने और सहयोगियों के बीच भार को साझा करने में सुधार करने के लिए करता है। **माइकल मास्टांडुनो** इस बात का विश्लेषण करते हैं कि नाटो यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिकी प्रभुत्व को औपचारिक रूप देता है।
- हेजेमोनिक स्थिरता सिद्धांत (Hegemonic Stability Theory) यह मानता है कि एक प्रमुख राज्य एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित कर सकता है और बनाए रख सकता है।

7 बदलती अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था

प्र. बदलती विश्व व्यवस्था तथा चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों ने, साथ ही वैश्विक शक्तियों का इनमें पक्ष लेना, निरस्त्रीकरण के लिए पहले हुई प्रगति को खतरे में डाल दिया है। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निशस्त्रीकरण (Disarmament) का अर्थ है हथियारों, विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) जैसे परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को कम करना, सीमित करना या समाप्त करना। इसका उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करना और सशस्त्र संघर्ष की संभावनाओं को कम करना है।

- पिछले कुछ वर्षों में कई संधियों में निरस्त्रीकरण की मांग की गई है। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और नि: शस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर/रूस के बीच सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता (SALT I और II) और सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधियों (START I और II) ने परमाणु शस्त्रागार को सीमित करने की मांग की। 2021 से प्रभावी परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करती है और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता होती है।
- हालिया घटनाक्रमों ने निशस्त्रीकरण प्रयासों को कमजोर किया है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव ने अक्सर प्रगति में बाधा डाली है, हालांकि 2021 में न्यू स्टार्ट संधि का विस्तार किया गया था।
- चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताएं और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव ने नि: शस्त्रीकरण प्रयासों को और जटिल बना दिया है। पेंटागन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने 2020 की तुलना में अपने परमाणु हथियार भंडार को लगभग तीन गुना बढ़ा लिया है। 2024 के मध्य तक चीन के पास 600 से अधिक सक्रिय परमाणु हथियार हैं, जबकि 2020 में यह संख्या लगभग 200 थी।
- इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय विवाद, जैसे इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी शामिल करता है, जिसमें ईरान प्रमुख है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास 60% तक संवर्धित 182.3 किलोग्राम यूरेनियम है। यह स्थिति नि:शस्त्रीकरण प्रयासों को कमजोर कर रही है और अन्य देशों, जैसे सऊदी अरब, को अपनी परमाणु क्षमताओं को विकसित करने की तैयारी की ओर प्रेरित कर रही है।
- संयुक्त राष्ट्र की नि: शस्त्रीकरण मामलों की उच्च प्रतिनिधि **इजुमी नाकामित्सु** ने बहुपक्षीयता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि निशस्त्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों का सामूहिक प्रयास आवश्यक है।

इस प्रकार, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और सैन्य प्रतिस्पर्धा ने नि: शस्त्रीकरण प्रयासों को गंभीर चुनौतियां प्रदान की हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग इन प्रयासों को मजबूत करने का प्रमुख माध्यम है।

प्र. रूस के वर्तमान शासन की विस्तारवादी प्रवृत्ति उसके सोवियत जमाने जैसा महा रूस बनाने के इरादों का संकेत देती है। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: पुतिन द्वारा 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करना और 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करना विस्तारवादी लक्ष्य का उदाहरण है। ये गतिविधियां "ग्रेटर रूस" का समर्थन करती हैं, जो रूसी भाषी क्षेत्रों को शामिल करना चाहता है। रूस ने दावा किया कि क्रीमिया पर कब्जा जातीय रूसियों और रूसी भाषा की रक्षा के लिए किया गया था।

- 2022 के आक्रमण को एक "विशेष सैन्य अभियान" के रूप में वर्णित किया गया था जिसका उद्देश्य रूसी भाषी समुदायों को अति-राष्ट्रवादी और नाजी यूक्रेनी सरकार से बचाना था। सोवियत संघ के अनुरूप, इन प्रयासों का उद्देश्य पूर्व सोवियत क्षेत्रों पर रूसी प्रभुत्व को बहाल करना है।
- "ग्रेटर रूस" की अवधारणा ऐतिहासिक दावों, जातीय और सांस्कृतिक संबंधों, रणनीतिक महत्व, राजनीतिक प्रेरणाओं और सार्वजनिक समर्थन पर आधारित है।
- रूस का क्रीमिया के साथ एक लंबा इतिहास है, जो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है जब इस पर रूसी साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस ऐतिहासिक संबंध को अक्सर रूसी सरकार द्वारा अपने कार्यों के औचित्य के रूप में उद्धृत किया जाता है।
- क्रीमिया पहली बार 1768 में रूसी साम्राज्य का हिस्सा बना था जब कैथरीन द ग्रेट ने पूर्व में अपने देश के प्रभाव का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थीं। यह 1954 तक सोवियत संघ के अधिकार में रहा, जब सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने अपने डी-स्टालिनाइजेशन कार्यक्रम के तहत क्रीमिया को यूक्रेन को उपहार में दे दिया।
- इसी तरह, क्रीमिया की अधिकांश आबादी जातीय रूप से रूसी है, और इनकी प्राथमिक भाषा रूसी हैं। रूसी सरकार ने तर्क दिया है कि वह इन जातीय रूसियों को संभावित उत्पीड़न से बचा रही है।

8 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव

प्र. व्यापार बाधाओं एवं आर्थिक प्रतिबंधों की वापसी ने GATT की भावना को क्षीण कर दिया है। इस संदर्भ में, वर्तमान समय में WTO की अवनति के लिए योगदान देने वाले कारकों की चर्चा कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: पिछले दस वर्षों में, व्यापार बाधाओं और संरक्षणवाद ने मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर कर दिया है। टैरिफ, कोटा और सब्सिडी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार युद्ध और आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। संरक्षणवाद की ओर इस संक्रमण ने खुले बाजारों और मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों से समझौता किया है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक व्यापार विस्तार में कमी आई है।

हाल के समय में विश्व व्यापार संगठन का पतन

- **जेलेना बामलर** जैसे शिक्षाविदों का मानना है कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की बाधाओं ने WTO को संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक WTO के अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को रोकना था, जो संगठन की विवाद समाधान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है।
  - यह कदम ट्रम्प प्रशासन के तहत शुरू हुआ और बिडेन प्रशासन के तहत जारी रहा, जिसने प्रभावी रूप से अपीलीय निकाय को पंगु बना दिया।
- **एरिक डचेस** ने चुनौतियों के बावजूद व्यापार बहुपक्षवाद के लचीलेपन को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि बढ़ते व्यापार विवादों को संबोधित करने में डब्ल्यूटीओ की विफलता ने इसकी विश्वसनीयता को कम कर दिया है।
  - संरक्षणवादी उपायों का उदय, जिसका उदाहरण अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध है, अमेरिका ने 1962 के व्यापार विस्तार अधि नियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ लगाकर डब्ल्यूटीओ को कमजोर कर दिया है।
- अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन के तकनीकी क्षेत्रों में निवेश पर सीमाएं लागू की हैं। दूसरी ओर, कई उच्च तकनीक क्षेत्रों के लिए आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में चीन के वर्चस्व ने तनाव को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीन अपने विश्वव्यापी प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन संसाधनों पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाता है।
- **हेनरी गाओ और सीएल लिम** क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) के विकास को डब्ल्यूटीओ के पतन में योगदान देने वाले कारक के रूप में देखते हैं। ये समझौते अक्सर डब्ल्यूटीओ ढांचे को दरकिनार कर देते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार नीति में इसका महत्व कम हो जाता है। ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं जो WTO के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट ने व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया है, जो एकतरफावाद और संरक्षणवाद की ओर बदलाव को दर्शाता है। उदाहरणों में भू-राजनीतिक संकटों को कम करने के उद्देश्य से रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंध और यूक्रेन में उसके आचरण की प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा रद्द करना शामिल है।

आंतरिक बाधाओं का समामेलन, संरक्षणवाद का उदय, तथा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के विस्तार ने पिछले दशक के दौरान विश्व व्यापार संगठन की प्रभावकारिता तथा महत्व को काफी हद तक कम कर दिया है। ये रुझान वैश्विक व्यापार तथा शासन की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के लिए संगठनात्मक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

प्र. जटिल अन्योन्याश्रयता (Complex interdependence) से आप क्या समझते है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पारराष्ट्रीय कर्ताओं की भूमिका की विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के बीच अंतक्रिया संबंधों में राष्ट्रों के बीच अंतक्रिया को प्राथमिक दी जाती है चूंकि यह एक यथार्थवादी संकल्पना है, अत: इसका स्वरूप राज्य केंद्रीत है किंतु भू-मंडलीकरण ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य के साथ-साथ पारराष्ट्रीय कारक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, गैर-सरकारी संगठन एवं सिविल समाज के महत्व को बढ़ा दिया। जिसे वैश्विक राजनीति की संज्ञा दी गई तथा जिसमें विश्व निर्भरता से अंतर्निर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निरूपण बिलियर्ड बॉल मॉडल के द्वारा किया जाता है जिसमें राष्ट्र बिलियर्ड बाल की भांति अमेघ एवं आत्मनिर्भर इकाई है अत: अंतरराष्ट्रीय संबंध उस मेज की भांति है जहां स्वतंत्र बिलियर्ड बाल एक दूसरे पर बाहरी रूप से दबाव डाल रही है, जिसमें टकराने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एवं शक्ति है।

जबकि वैश्विक राजनीति का निरूपण कॉबवेब मॉडल द्वारा किया जाता है, जिसे जोसेफ नाई व कोहेन ने जटिल अन्योन्याश्रयता (Complex interdependence) की संज्ञा दी, जिसमें राज्यों के बीच सैन्य

9

संयुक्त राष्ट्र

प्र. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्य क्या हैं?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: अंतराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग (नीदरलैंड) के पीस पैलेस में स्थित है।

संरचना

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर, लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं।
- निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य हर तीन साल में चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश पुन: चुनाव के पात्र होते हैं।
- ICJ को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है, यह रजिस्ट्री ICJ का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों में यह एकमात्र संस्थान है, जो न्यूयार्क में स्थित नहीं है।

कार्य

- **राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटान:** यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों के द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सलाह देता है।
- कुलभूषण जाधव मामले के अलावा, भारत 5 मौकों पर आईसीजे में एक पक्षकार रहा है, जिनमें से तीन में पाकिस्तान शामिल रहा है।
- **कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय देना:** अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंग और विशेष एजेंसियां सलाहकारी राय के लिए कानूनी मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भेज सकती हैं। यद्यपि ये सलाह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी ये सलाहकारी राय अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकती हैं।

प्र. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वर्तमान में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। वर्ष 1963 में इसके चार्टर का संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई।

- अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं, जिसका अनुपात निम्नलिखित है-

i) पांच सदस्य अफ्रीका एवं एशिया से;
ii) दो सदस्य लैटिन अमेरिका से;
iii) दो सदस्य पश्चिमी देशों से;
iv) एक सदस्य पूर्वी यूरोप से।

- चार्टर के अनुच्छेद-27 में मतदान का प्रावधान दिया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरा वीटो का प्रावधान है।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो को प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है।

सुरक्षा परिषद के कार्य

- सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त यह निम्न कार्य करता है-

i) हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयास करना।
ii) आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना।
iii) आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना।

- सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं।

प्र. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना का वर्णन कीजिये। इसके स्वैच्छिक क्षेत्राधिकार का विवेचन कीजिये।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2022)

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया।

यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। संयुक्त राष्ट्र के छ: प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है, जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है।

- **अन्तर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय :** अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विवादों पर अपना निर्णय देता है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवादों पर इस न्यायालय में विचार किया जाता है। इस न्यायालय को चार्टर में उल्लिखित विषयों, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों पर भी विचार करने का विशेष अधिकार है।

10 विश्व राजनीति का क्षेत्रीयकरण

प्र. नाफ्टा की क्या खामियाँ थीं? संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते द्वारा इसके प्रतिस्थापन ने उनका प्रतिकार कैसे किया? व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA) संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच एक व्यापार समझौता था, जो 1 जनवरी, 1994 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच टैरिफ को खत्म करना और आर्थिक बाधाओं को कम करना था, जिससे दुनिया भर में सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक की स्थापना हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता (USMCA) ने NAFTA की जगह ली और 1 जुलाई, 2020 को प्रभावी हुआ।

नाफ्टा की सीमाएं

- आलोचकों का कहना है कि NAFTA के कारण अमेरिका में, खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में, नौकरियों में भारी कमी आई है, क्योंकि कंपनियों ने अपना उत्पादन मेक्सिको में स्थानांतरित कर दिया है, जहां श्रम लागत कम है। आर्थिक नीति संस्थान ने अनुमान लगाया है कि 1997 से 2013 तक 800,000 से अधिक नौकरियां मेक्सिको में स्थानांतरित हो गईं।
- संगठित करने के प्रयासों में बाधा डालने के लिए मैक्सिको में स्थानांतरित होने की धमकी दी। सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों की आमद को सुगम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई छोटे मैक्सिकन किसानों को नुकसान हुआ। इस समझौते ने मैकिलाडोरा कार्यक्रम को व्यापक बनाया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को घटिया काम करने की स्थिति और न्यूनतम मुआवजे के तहत मैक्सिकन मजदूरों को काम पर रखने की अनुमति मिली।
- आलोचकों ने कहा कि NAFTA के कारण औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि और अपर्याप्त प्रतिबंधों के कारण पर्यावरण में गिरावट आई।

यूएसएमसीए के लाभ

- संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) ने कई महत्वपूर्ण संवर्द्धनों के माध्यम से NAFTA की कमियों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया है। USMCA में आज तक के किसी भी व्यापार समझौते में सबसे मजबूत श्रम मानक हैं, जिसके अनुसार 40-45% वाहन घटकों का उत्पादन न्यूनतम +16 प्रति घंटे कमाने वाले श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे मेक्सिको में मजदूरी और काम करने की स्थिति में सुधार होगा।
- अमेरिकी श्रम विभाग के अंतरराष्ट्रीय श्रम मामलों के ब्यूरो (आईएलएबी) ने महत्वपूर्ण श्रम सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए मैक्सिकन सरकार के साथ मिलकर काम किया है।
- यह समझौता डिजिटल उत्पादों पर टैरिफ लगाने पर रोक लगाता है और बौद्धिक संपदा सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है, समकालीन व्यापार चुनौतियों से निपटता है और पूरे उत्तरी अमेरिका में डिजिटल वाणिज्य और नवाचार के विस्तार को बढ़ावा देता है।
- त्वरित प्रतिक्रिया श्रम तंत्र (RRM) मेक्सिको में कारखाना-विशिष्ट हस्तक्षेपों की सुविधा प्रदान करता है, जो प्रमुख उद्योगों में संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी को लक्षित करता है, जिससे मैक्सिकन श्रमिकों के वेतन और कार्य स्थितियों में सुधार होता है।
- 2021 की पहली छमाही में, मेक्सिको और अमेरिका के बीच व्यापार अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया, जिसमें द्विपक्षीय आदान-प्रदान कुल 320 बिलियन डॉलर था, जो 2020 में इसी अवधि की तुलना में 31.6% की वृद्धि को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय व्यापार पर समझौते के लाभकारी प्रभाव को दर्शाता है।

यूएसएमसीए ने अपनी समितियों और वरिष्ठ-स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से सरकार-से-सरकार संपर्क को बढ़ाया है, जिससे तीनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा मिला है। इन सुधारों ने यूएसएमसीए को नाफ्टा की कमियों को दूर करने और उत्तरी अमेरिका में न्यायसंगत व्यापार, आर्थिक विकास और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है।

प्र. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि ई.यू. क्षेत्रीय समन्वयन प्रक्रिया में अब तक का सबसे सफल प्रयोग प्रमाणित हुआ है? इसकी सफलताओं तथा हाल ही में उसके सम्मुख आई कुछ चुनौतियों का स्पष्टीकरण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: यूरोपीय संघ (EU) 27 यूरोपीय देशों से मिलकर बना एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसे एकीकरण, सहयोग और समान नीतियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना मास्ट्रिच संधि द्वारा की गई थी, जो 1993 में प्रभावी हुई। यूरोपीय संघ सुपरनेशनल संस्थानों और अंतर-सरकारी निर्णयों के एक संकर ढांचे के माध्यम से काम करता है, जो अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक सहयोग और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है।

यूरोपीय संघ की सफलताएं

- यूरोपीय संघ (ईयू) ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड-19 प्रकोप के लिए ईयू की आर्थिक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से प्रभावी रही, जिसमें नेक्स्ट जेनरेशन ईयू (एनजीईयू) रिकवरी प्लान जैसी पहलों के माध्यम से सदस्य देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई। **मार्क राइनार्ड जैसे शिक्षाविदों ने संसाधनों को** जुटाने और एकीकृत प्रतिक्रिया को संगठित करने की ईयू की क्षमता पर जोर दिया है।

11

समकालीन वैश्विक सरोकार

प्र. विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं के दैहिक अधिकारों के संबंध में हाल ही के प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की चर्चा कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: महिलाओं के दैहिक अधिकारों से संबंधित सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक और संगठित प्रयास है, जो महिलाओं द्वारा उन सामाजिक मान्यताओं, नीतियों, और प्रथाओं को चुनौती देने और बदलने के लिए किया जाता है जो उनकी दैहिक स्वायत्तता और अखंडता का उल्लंघन करती हैं। यह आंदोलन प्रजनन अधिकार, यौन हिंसा, और दैहिक स्वायत्तता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के दैहिक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करना है, जो जागरूकता, सक्रियता, और कानूनी सुधारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

विश्व भर में हालिया आंदोलन

- **#MeToo आंदोलन,** जिसकी स्थापना 2006 में तराना बर्क द्वारा की गई थी और 2017 में इसे व्यापक पहचान मिली, यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए अपने अनुभव साझा करने का एक वैश्विक मंच बन चुका है।
- इस आंदोलन ने कार्यस्थलों की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को प्रेरित किया है। यह आंदोलन यौन उत्पीड़न और हमले की व्यापक समस्या को उजागर करता है और समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **माय स्टेल्थी फ्रीडम मूवमेंट,** जो 2014 में मसीह अलीनेजाद द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन आंदोलन है, महिलाओं की इस स्वायत्तता पर जोर देता है कि वे हिजाब पहनने या न पहनने का फैसला स्वयं करें। इस आंदोलन के तहत महिलाएं सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के अपनी तस्वीरें साझा कर रही हैं, जिससे ईरान की अनिवार्य पोशाक संहिता को चुनौती दी जा रही है। यह पहल वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर चुकी है, विशेष रूप से 2023 में, जब नर्गेस मोहम्मदी को उनके मानवाधिकार संघर्ष और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **महसा जिना अमिनी** की 2022 में हुई हत्या, जिसे कथित तौर पर नैतिक पुलिस द्वारा "अनुचित हिजाब पहनने" के कारण मारपीट का परिणाम बताया गया, के बाद ईरान में महिलाओं ने अनिवार्य हिजाब नियमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन राज्य द्वारा महिलाओं के शरीर पर अधिकार थोपने की कोशिशों को चुनौती देने में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, COVID-19 महामारी के दौरान महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि देखी गई, जो लैंगिक हिंसा के खिलाफ कदम उठाने की मांग कर रहे थे। **संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women)** की रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के पहले वर्ष में महिलाओं ने **100 से अधिक देशों में कम से कम 2,711 विरोध प्रदर्शन** आयोजित किए। इन रैलियों का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और लैंगिक हिंसा के अन्य रूपों में हुई वृद्धि का मुकाबला करना था।
- **महिला मार्च आंदोलन**, दैहिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों को शामिल करते हुए महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। इस अभियान ने महिलाओं के दैहिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली कई चिंताओं को उजागर करने के लिए वैश्विक मार्च और विरोध प्रदर्शनों का समन्वय किया है।
- **कैथरीन एल. श्मिट्ज और शर्ली गेटेनियो गैबेल** जैसे शोधकर्ताओं ने महिलाओं के सामने आने वाली प्रणालीगत कमजोरियों और लैंगिक उत्पीड़न से निपटने के लिए एक बहु-प्रणालीगत रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- **"गायन/इकोलॉजी: द मेटाएथिक्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म" में मैरी डेली** महिला मूल्यों को नकारने और हाशिए पर डालने में भाषा की भूमिका की जांच करते हैं । अन्य विद्वान लैंगिक शक्ति असंतुलन से उत्पन्न विश्वव्यापी दुविधा और सामाजिक समानता और न्याय में पर्याप्त प्रगति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- UN वुमन की रिपोर्ट ने महिलाओं की सक्रियता की प्रभावकारिता और परिवर्तन लाने में महिलाओं के विरोध के महत्व पर प्रकाश डाला, तथा यह दर्शाया कि इस तरह के विरोधों ने महामारी के दौरान लिंग आधारित हिंसा के प्रति सरकारी प्रतिक्रियाओं को काफी हद तक प्रभावित किया।
- इसी प्रकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने महिलाओं के अधिकारों के असंगत दुरुपयोग तथा महिलाओं के साथ लगातार हो रहे भेदभाव के बारे में जानकारी दी है।
- महिलाओं के दैहिक अधिकारों के लिए चल रहे सामाजिक आंदोलन ने सामूहिक प्रयासों और लॉबिंग के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। इन पहलों ने जागरूकता बढ़ाने, नीतिगत सुधार करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इन आंदोलनों की सतत दृढ़ता और एकता यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समान भविष्य स्थापित हो सके।

1 भारतीय विदेश नीति

प्र. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हाल में भारत की विदेश नीति नेहरूवाद से नवउदारवाद की ओर संक्रमण की स्थिति में है? उचित उदाहरणों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: नेहरूवादी विदेश नीति, जो गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और तीसरी दुनिया के देशों के बीच एकजुटता द्वारा परिभाषित थी, ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने और शीत युद्ध के शक्ति ब्लॉकों में शामिल होने से बचने की कोशिश की। नेहरू ने कूटनीतिक भागीदारी और बहुपक्षवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया, विश्व शांति और न्यायसंगत विकास की वकालत की।

नेहरूवाद से नवउदारवाद की ओर संक्रमण

- हाल ही में, भारत की विदेश नीति नेहरूवादी युग से अधिक नवउदारवादी प्रतिमान में परिवर्तित हो गई है। 1998 में, भारत ने पोखरण-II के नाम से परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया, जो नेहरू की परमाणु अप्रसार की प्रतिज्ञा से विचलन को दर्शाता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करना और अपने सामरिक हितों की रक्षा करना था।
- नेहरू के कार्यकाल के दौरान, भारत ने अरब समर्थक रुख अपनाया और फिलिस्तीन के पक्ष में तीसरी दुनिया की एकजुटता का तर्क देते हुए 1992 तक इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप नहीं दिया। उस समय से, भारत-इजरायल संबंधों में काफी विस्तार हुआ है, जिसमें रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की भागीदारी, इसकी पूर्ववर्ती समाजवादी अर्थव्यवस्था से परिवर्तन का प्रतीक थी, जिसमें आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया जाता था।
- भारत का अपने पड़ोसियों के प्रति रुख अक्सर "बड़े भाई" की मानसिकता वाला माना जाता है, खासकर छोटे दक्षिण एशियाई देशों के साथ उसके संबंधों में। यह नेहरू के क्षेत्रीय सहयोग और एकता के विचार के विपरीत है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 123 समझौते के** अंतर्गत 2008 का असैन्य परमाणु समझौता भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसकी गुटनिरपेक्ष स्थिति से हटकर अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है।
- मोदी प्रशासन के तहत, भारत अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति से अलग हट गया है, और सक्रिय रूप से रणनीतिक संबंधों और गठबंधनों को आगे बढ़ा रहा है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ। ये उदाहरण भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और समाजवादी आदर्शों पर जोर देने से लेकर रणनीतिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने वाले अधिक व्यावहारिक और नवउदारवादी रुख में बदलाव को दर्शाते हैं।

नेहरू के मूल्यों की निरंतरता

- हालांकि, एक तर्क यह भी है कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति ने निरंतरता और परिवर्तन दोनों को प्रदर्शित किया है, जो नेहरूवादी मूल्यों के निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और रणनीतिक स्वायत्तता द्वारा परिभाषित नेहरूवादी विदेश नीति कायम है।
- अमेरिका, रूस और चीन जैसे प्रमुख देशों के साथ भारत की बातचीत रणनीतिक गठबंधनों और स्वायत्तता के संरक्षण के बीच एक परिष्कृत संतुलन को दर्शाती है। यह शीत युद्ध के दौरान नेहरू की गुटनिरपेक्ष स्थिति को दर्शाता है।
- इसके अलावा, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सामूहिक वार्ता को बढ़ावा देने की नेहरू की आकांक्षा के अनुरूप है।
- पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा है कि यद्यपि भारत ने कठोर गुटनिरपेक्षता से दूरी बना ली है, लेकिन वह विशिष्ट मुद्दों पर गठबंधनों में तेजी से शामिल हो रहा है।
- यह परिवर्तन भारत के आतंकवाद-रोधी और रक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ मजबूत होते संबंधों में देखा जा सकता है, जबकि आर्थिक और क्षेत्रीय स्थिरता पर रूस और चीन के साथ भी जुड़ाव बनाए रखा है।
- भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन करती है, ऊर्ध्वाधर प्रसार और परमाणु रंगभेद का विरोध करती है तथा समतापूर्ण निरस्त्रीकरण की वकालत करती है।
- मूलत:, यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने अधिक व्यावहारिक और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है, तथापि नेहरूवादी विदेश नीति के मूल सिद्धांत - रणनीतिक स्वायत्तता, गुटनिरपेक्षता और बहुपक्षवाद - इसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में कायम हैं।

2 गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत का योगदान

प्र. "भारत ने हाल में, बहु-संरेखण की अपनी खोज में गुटनिरपेक्षता को खारिज करने का विकल्प चुना है।" टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत ने गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण की ओर कदम बढ़ाया, रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए कई वैश्विक ताकतों को शामिल किया। अमेरिका, रूस और चीन के साथ मजबूत संबंधों की विशेषता वाले इस बदलाव ने भारत की लचीली कूटनीति को दर्शाया है जिसका उद्देश्य बहुध्रुवीय परिदृश्य में आर्थिक लक्ष्यों, सुरक्षा जरूरतों और भू-राजनीतिक ताकत को समेटना है।

बहु-संरेखण हेतु भारत के प्रयासों पर विद्वानों की राय

- **सी. राजा मोहन** का मानना है कि अमेरिका, रूस और जापान जैसी कई शक्तियों के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते गुटनिरपेक्षता के कठोर सिद्धांतों में बदलाव का संकेत देते हैं। उनका कहना है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बहु-संरेखण को अपनाया है, खासकर उत्तरोत्तर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के ढांचे के भीतर। क्वाड में भारत की भागीदारी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा समझौते इस बदलाव का उदाहरण हैं।
- **ब्रह्म चेलानी** का तर्क है कि वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का गठबंधन, गुटनिरपेक्षता से एक निश्चित प्रस्थान का संकेत देता है। वह पश्चिमी देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करते हैं, जो गुटनिरपेक्ष आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता के बजाय इसकी भू-राजनीतिक व्यावहारिकता को दर्शाता है। रक्षा और व्यापार में अमेरिका के साथ भारत का सहयोग इसकी विकासशील विदेश नीति को उजागर करता है।
- **सुमित गांगुली** का मानना है कि भारत की बहु-संरेखण की रणनीति कई वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में प्रकट होती है, खासकर अमेरिका और रूस के साथ इसके समवर्ती जुड़ाव में। भारत ने कठोर गुटनिरपेक्षता से औपचारिक गठबंधनों से रहित रिश्तों के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता का पीछा करते हुए, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध आदि जैसे उभरती वैश्विक गतिशीलता के जवाब में अपनी विदेश नीति को अनुकूलित किया है।
- भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से अधिक व्यावहारिक बहु-गठबंधन रणनीति की ओर विकसित हो रही है।
- वे क्वाड में भारत की भागीदारी, अमेरिका के साथ उसके मजबूत होते संबंधों और रूस के साथ चल रही बातचीत को रणनीतिक विविधीकरण के सबूत के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना और क्षेत्रीय खतरों को कम करना है, खास तौर पर चीन से जो दक्षिण चीन सागर में तेजी से आक्रामक होता जा रहा है।
- **राजेश राजगोपालन** का मानना है कि क्वाड जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत की बढ़ती भागीदारी और अमेरिका के साथ उसका रक्षा सहयोग गुटनिरपेक्षता सिद्धांत से एक उल्लेखनीय प्रस्थान का संकेत देता है। उनका मानना है कि भारत का जोर गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिसमें वह अपने सुरक्षा और आर्थिक लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए कई वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक रूप से सहयोग करने का प्रयास करता है।

इस प्रकार, बहु-संरेखण की भारत की खोज समकालीन भू-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है, जो पश्चिम एशिया में चीन के उदय और संकट से चिह्नित है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा को संरक्षित करता है। यह विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ बातचीत करके राष्ट्रीय हितों का प्रबंधन करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक परिष्कृत दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है, जो समकालीन दुनिया की जटिलताओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्र. गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के योगदान पर और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिये।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2016)

उत्तर: गुटनिरपेक्षता वस्तुतः पृथकता, तटस्थता, निष्पक्षता से अभिप्रेरित न होकर वरन् यह अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी की बात करता है। इससे तात्पर्य है किसी भी महाशक्ति से प्रभावित हुए बिना महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय मसलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है, जिसमें नव स्वतंत्र एशियाई, अफ्रीकी देश शामिल है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए तृतीय विश्व के देशों की नेता की भूमिका निभाई है। भारत का मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति उसकी संस्कृति में निहित थी। भारत ने इसके जरिए शान्ति, निःशस्त्रीकरण एवं जातीय समानता का पक्ष लेते हुए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एवं अंतरराष्ट्रीय झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने में अग्रणी भूमिका निभाई।

3

भारत एवं दक्षिण एशिया

प्र. ऐतिहासिक रूप से भूटान भारत का मित्र रहा है, परंतु चीन-भूटान के सीमा संबंधी मुद्दे भारत के लिए सुरक्षा के मुद्दे बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भूटान और भारत एक ऐतिहासिक साझेदारी बनाए रखते हैं, जिसे 1949 के मित्रता और सहयोग समझौते द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे 2007 में अद्यतन किया गया और 2016 के व्यापार, वाणिज्य और परिवहन समझौते में इसकी पुनः पुष्टि की गई। ये समझौते उनके विदेशी नीति, रक्षा और आर्थिक संबंधों में सहयोगी प्रयासों पर जोर देते हैं, जो उनकी स्थायी साझेदारी को मजबूत करते हैं।

- चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद विभिन्न कारणों से भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। डोकलाम पठार, भारत, भूटान और चीन के त्रि-जंक्शन पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो विवाद का एक प्रमुख विषय है।
- पूर्व वरिष्ठ भारतीय राजनयिक **पी. स्टोबदान** ने तर्क दिया कि भारत को आशंका है कि चीन नई दिल्ली को नाराज करने के लिए भूटान पर सीमा मुद्दे को हल करने के लिए दबाव डाल रहा है। चीन द्वारा इस क्षेत्र पर प्रभुत्व भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डाल सकता है, जिसे कभी-कभी चिकन नेक के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है।
- 2017 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच डोकलाम गतिरोध ने इस क्षेत्र में हिंसा की संभावना को रेखांकित किया। गतिरोध समाप्त हो गया, हालांकि इसने भारत के लिए डोकलाम के रणनीतिक महत्व को उजागर किया।
- इसके अलावा, जैसा कि चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी के सुन शीहुई ने देखा है, भूटान में चीन के बढ़ते प्रभाव ने, एक बफर राज्य के रूप में भूटान पर भारत के अधिकार को लेकर आशंकाएं उत्पन्न कर दी हैं।
- **भूटान और चीन द्वारा 2021 में अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए स्थापित तीन-चरणीय रोडमैप ने** भारत की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की शिबानी मेहता ने तर्क दिया कि भूटान सीमा विवाद के सूक्ष्म समाधान की खोज में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापक क्षेत्रीय रियायतों से बचना है जो भारत को अलग कर सकते हैं या चीनी अतिक्रमण को बढ़ा सकते हैं।

चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा हितों को खतरे में डालते हैं, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में, और भारत की अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक रणनीतिक पहुंच को प्रभावित करते हैं।

प्र. गहरे संबंधों के बावजूद, चीन द्वारा श्रीलंका में निवेश एवं आर्थिक प्रभुत्व के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत और श्रीलंका के संबंधों में तनाव देखा गया है। विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं। भारत श्रीलंका का मुख्य व्यापारिक साझेदार है और दोनों देश भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (आईएसएफटीए) और रक्षा सहयोग सहित कई पहलों में शामिल हैं। साझा बौद्ध विरासत सहित सांस्कृतिक संपर्क उनके संबंधों को बढ़ाते हैं।

- श्रीलंका में चीन का प्रभाव काफी निवेश और आर्थिक श्रेष्ठता के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। 2005 से, चीन ने श्रीलंका में $15 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, जिससे वह देश में प्रमुख निवेशक के रूप में स्थापित हो गया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में $1.4 बिलियन की कोलंबो पोर्ट सिटी और $1 बिलियन की हंबनटोटा पोर्ट डेवलपमेंट शामिल हैं, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का अभिन्न अंग हैं।
- इन निवेशों ने श्रीलंका की ऋण स्थिरता पर आशंकाएं पैदा की हैं, क्योंकि चीनी ऋण देश के $40 बिलियन ऋण का 10-20% है। शिक्षाविदों का तर्क है कि चीन की आर्थिक नीति रणनीतिक संपत्ति हासिल करने और हिंद महासागर में अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करती है। आर्थिक लाभों के बावजूद, इस वर्चस्व के स्थायी परिणाम बहस का विषय बने हुए हैं।
- इस पृष्ठभूमि में, भारत के श्रीलंका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं क्योंकि वह हिंद महासागर को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है और चीन की कार्रवाइयों को अपने क्षेत्रीय प्रभाव के लिए चुनौती मानता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें भारत चीन के प्रभुत्व का विरोध कर रहा है।
- अगस्त 2022 में हंबनटोटा बंदरगाह पर चीनी मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 के आगमन से इसकी परिष्कृत निगरानी और संचार क्षमताओं के कारण भारत में चिंता उत्पन्न हो गई है।
- गेटवे हाउस के प्रतिष्ठित फेलो राजीव भाटिया का मानना है कि श्रीलंका में चीन के निवेश का उद्देश्य रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करना है।

4

भारत और वैश्विक दक्षिण

प्र. 21वीं सदी में एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य को साकार करने में वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की संभावित भूमिका पर चर्चा कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: ऐतिहासिक रूप से, भारत विकासशील देशों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक दक्षिण का एक प्रमुख अधिवक्ता रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सामूहिक सौदेबाजी की वकालत की। हाल के दिनों में, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की प्रमुखता विकासशील देशों के हितों की वकालत करने के प्रति उसके समर्पण को उजागर करती है।

21वीं सदी में वैश्विक दक्षिण का नेता

- भारत में समतामूलक विकास और समावेशी वृद्धि पर केंद्रित एक नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के निर्माण में वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की क्षमता थी। ब्रिक्स, G-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत रणनीतिक रूप से वैश्विक शासन ढांचे में सुधारों को आगे बढ़ाने की स्थिति में है, जो विकासशील देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।
- विकासशील देशों में बढ़ते सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जैसा कि यूएनसीटीएडी की **ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024** में जोर दिया गया है। ऋण राहत, टिकाऊ वित्तपोषण और न्यायसंगत व्यापार प्रथाओं की वकालत करके, भारत पूरे वैश्विक दक्षिण में वित्तीय स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा दे सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** में भारत की भागीदारी जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए उसके समर्पण को दर्शाती है। भारत अपनी विशेषज्ञता साझा करके विकासशील देशों को ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने में सहायता कर सकता है।
- **डिजिटल इंडिया** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी उपलब्धियां भारत को डिजिटल विभाजन को कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण में कनेक्शन में सुधार करने के लिए एक माध्यम के रूप में स्थापित करती हैं। **आयुष्मान भारत** जैसे व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और विविध शैक्षिक पहलों के भारत के प्रभावी क्रियान्वयन से अन्य विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ाने के लिए पुनरुत्पादनीय रूपरेखाएं मिलती हैं।
- **अमिताव आचार्य** जैसे विद्वान बहुपक्षीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। वैश्विक दक्षिण द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों के प्रबंधन द्वारा, भारत यह गारंटी दे सकता है कि इन देशों के दृष्टिकोण और हित वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में परिलक्षित होते हैं।

भारत की रणनीतिक स्थिति, नेतृत्व प्रतिभा और सतत विकास के प्रति समर्पण उसे विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर बल देते हुए एक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक आर्थिक ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

प्र. कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण को लेकर डब्ल्यू.टी.ओ. में हुआ समझौता व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टी. आर.आई.पी.एस.) में छूट क्यों नहीं है?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर: बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधी पहलुओं (TRIPS) पर समझौता विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढांचे के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है। यह इस बात के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है कि देशों को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों की रक्षा और कार्यान्वयन कैसे करना चाहिए।

- डब्ल्यूटीओ में कोविड-19 वैक्सीन निर्माण के संबंध में हुआ समझौता कई कारणों से ट्रिप्स छूट प्राप्त करने में असफल रहा।
- टीके की अत्यधिक कीमतें, सीमित उत्पादन क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की तात्कालिकता जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए यद्यपि ट्रिप्स छूट की वकालत की गई थी, परन्तु यह समझौता एक संशोधित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- सबसे पहली बात यह कि इस समझौते का दायरा सीमित है तथा यह केवल 'बिना पर्याप्त वैक्सीन उत्पादन क्षमता वाले विकासशील देशों' पर लागू होता है।
- इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख वैक्सीन उत्पादकों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक वैश्विक प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देने के बावजूद, यह समझौता 'डेटा विशिष्टता' (Data Exclusivity) बरकरार रखता है। अनिवार्य लाइसेंसिंग एक ऐसा तंत्र है, जो पेटेंट धारक की सहमति के बिना लेकिन मुआवजे के साथ जेनेरिक उत्पादन की अनुमति देता है।

5 भारत और वैश्विक शक्ति केंद्र

प्र. क्या भारत और चीन के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए 21वीं सदी के 'एशियाई सदी' होने का विचार संभव प्रतीत होता है? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

"एशियाई शताब्दी" 21वीं सदी को मुख्य रूप से एशियाई राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से प्रभावित होने के रूप में देखती है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से चीन और भारत करेंगे। किशोर महबूबानी की पुस्तक, द एशियन 21वीं सेन्चरी, इस परिवर्तन की जांच करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए आदर्शों को अपनाए बिना यह सदी एशियाई सदी नहीं हो सकती।"

एशियाई शताब्दी की व्यवहार्यता

- 21वीं सदी चीन और भारत के बीच सहयोग से एशियाई सदी बन सकती है, जिसमें उनके सामूहिक आर्थिक विस्तार और रणनीतिक गठबंधनों का उपयोग किया जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत सामूहिक रूप से वैश्विक आबादी का लगभग 35% और विश्वव्यापी सकल घरेलू उत्पाद का 18% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उनकी भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक उन्नति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है। पराग खन्ना जैसे शिक्षाविदों ने अपनी रचना "द फ्यूचर इज एशियन" में तर्क दिया है कि एशिया का उत्थान इसके जनसांख्यिकीय लाभों और आर्थिक शक्ति के कारण अपरिहार्य है।
- इसके अलावा, इन दोनों देशों के बीच सहयोग से प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और वाणिज्य में प्रगति हो सकती है, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध एशियाई क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है।
- भारत और चीन ने रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान सहित वैश्विक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों का समर्थन किया है। दोनों देशों ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य एशिया में अवसंरचना विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

भारत और चीन के बीच बढ़ता टकराव

- भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव, चीन के मध्य साम्राज्य परिसर, महाशक्ति का दर्जा पाने की आकांक्षाओं, क्षेत्रीय विस्तार, व्यापार असमानताओं, सैन्य विकास और परमाणु प्रसार से प्रेरित होकर, 21वीं सदी की अवधारणा को कमजोर करते हैं, क्योंकि यह एशिया के प्रभुत्व वाला युग है।
- "मध्य साम्राज्य" के रूप में चीन की ऐतिहासिक पहचान श्रेष्ठता की भावना पैदा करती है जो इसके मुखर क्षेत्रीय दावों को बढ़ावा देती है, जैसा कि हिमालय में भारत के साथ लगातार सीमा विवादों से स्पष्ट होता है।
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के उदाहरण के रूप में चीन की वैश्विक प्रभाव रणनीति ने व्यापार असंतुलन को उसके लाभ के लिए बढ़ा दिया है। सैन्य निर्माण और परमाणु विकास ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे पड़ोसी देशों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
- **अमिताव आचार्य** जैसे शिक्षाविद सुरक्षा दुविधा के प्रति आगाह करते हैं, जिसमें भारत चीन को एक उभरता हुआ खतरा मानता है, जो शायद हिंसा की ओर ले जा सकता है।
- **हर्ष वी. पंत** द्वारा भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, लेकिन शिवशंकर मेनन ने तनाव को रोकने के लिए रणनीतिक स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया है।
- अंततः, ये संघर्ष संकेत देते हैं कि क्षेत्रीय कठिनाइयां एशिया के वैश्विक वर्चस्व को ग्रहण लगा सकती हैं। हालांकि, यदि भारत और चीन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करते हैं और साझा हितों पर सहयोग करते हैं, तो 21वीं सदी वास्तव में एशियाई सदी में बदल सकती है, जिसकी विशेषता सामूहिक विकास और स्थिरता होगी।

प्र. "भारत और यू. एस. ए. इतने सशक्त रणनीतिक साझेदार बन गए हैं कि उन्हें औपचारिक सहयोगी बनने की आवश्यकता नहीं है। टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: 21वीं सदी में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा, व्यापार और आतंकवाद विरोधी सहयोग में आपसी हितों के कारण रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। यू.एस.-भारत नागरिक परमाणु समझौता, क्वाड साझेदारी और बढ़े हुए सैन्य सहयोग जैसी पहल साझा उद्देश्यों को रेखांकित करते हैं। दोनों देशों ने इंडो-प्रशांत सुरक्षा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आर्थिक विकास पर जोर दिया है, जिससे एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी का निर्माण हुआ है।

भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार

- 21वीं सदी में अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग आर्थिक, रक्षा, भू-राजनीतिक और वैचारिक संरेखण से प्रेरित है। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण ने व्यापार और